भारतीय जन संचार संस्थान
मानित विश्वविद्यालय
विवरणिका 2024-25

स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम

- मीडिया बिजनेस स्टडीज में स्नातकोत्तर
- स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन में स्नातकोत्तर

स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम

- पत्रकारिता (अंग्रेजी)
- पत्रकारिता (हिंदी)
- रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता
- विज्ञापन एवं जनसंपर्क
- डिजिटल मीडिया
- पत्रकारिता (मलयालम)
- पत्रकारिता (मराठी)
- पत्रकारिता (उड़िया)
- पत्रकारिता (उर्दू)

विषय-वस्तु

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	आईआईएमसी के बारे में	3
2.	पाठ्यक्रमों के बारे में	4-10
3.	आईआईएमसी में कैसे प्रवेश लें (i) चयन प्रक्रिया (ii) पात्रता (iii) आरक्षण (iv) प्रवेश प्रक्रिया	11-13
4.	शुल्क संरचना एवं शुल्क वापसी नियम	14-17
5.	परिसर में सुविधाएं	18-19
6.	क्षेत्रीय परिसर	20-21
7.	प्लेसमेंट/इंटर्नशिप	21-22
8.	अन्य महत्वपूर्ण जानकारी	23-24
9.	आईआईएमसी प्रबंधन एवं संकाय	25-26
10.	संपर्क की जानकारी	26-27
11.	**अनुलग्नक**	28-48
अनुलग्नक: ए - परिसर आचार संहिता		28-31
अनुलग्नक: बी - पुस्तकालय आचार संहिता		32-34
अनुलग्नक: सी - परिसर और पुस्तकालय आचार संहिता के लिए शपथ पत्र		35
अनुलग्नक: डी - छात्रावास नियम एवं विनियम		36-40
अनुलग्नक: ई - छात्रों द्वारा शपथ पत्र		41-42
अनुलग्नक: एफ - छात्रावास के निवासियों द्वारा शपथ पत्र		43-45
अनुलग्नक: जी - चरित्र प्रमाण पत्र		46
अनुलग्नक: एच - माता-पिता द्वारा क्षतिपूर्ति बांड		47-48

भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) के बारे में

भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत 17 अगस्त, 1965 को स्थापित भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) वर्तमान में देश में अपनी तरह का एक प्रमुख संस्थान है, जो पत्रकारिता में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा मीडिया एवं जनसंचार के क्षेत्र में सार्थक शोध करता है।

शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की सिफारिश पर 31 जनवरी, 2024 को आईआईएमसी को 'विशिष्ट' श्रेणी के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया है।

आईआईएमसी एशिया का पहला मीडिया प्रशिक्षण संस्थान है, जिसके पास एक समर्पित संचार अनुसंधान विभाग है, जो विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों के लिए अनुसंधान, विश्लेषण और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करता है। अनुसंधान मुख्य रूप से सरकारी अभियानों, प्रभाव विश्लेषण, प्रतिक्रिया आदि पर केंद्रित है, यह सरकारी अभियानों और संचार कार्यक्रमों की प्रभावी और व्यापक पहुंच के लिए रणनीति बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण इनपुट प्रदान करता है, ताकि उनकी प्रभावी और व्यापक पहुंच हो सके।

आईआईएमसी भारतीय सूचना सेवा (IIS) के अधिकारियों की प्रशिक्षण अकादमी भी है। इसके अलावा, संस्थान अंग्रेजी, हिंदी, रेडियो और टीवी, उर्दू, उड़िया, मराठी, मलयालम पत्रकारिता तथा विज्ञापन व जनसंपर्क तथा डिजिटल मीडिया में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित करता है, जिन्हें उद्योग जगत द्वारा स्वीकृति प्राप्त है। चूंकि आईआईएमसी अब एक डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी है, इसलिए इस वर्ष से आईआईएमसी दो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी संचालित करेगा।

आईआईएमसी भारत सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य सरकारों, पीएसयू और सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए मीडिया संबंधों और जनसंपर्क पर कई अल्पकालिक पाठ्यक्रम भी चलाता है। यह विकासशील देशों के मिड-करियर पत्रकारों और मीडिया अधिकारियों के लिए विकास पत्रकारिता में द्विवार्षिक डिप्लोमा जैसा अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम भी आयोजित करता है। कुल मिलाकर, आईआईएमसी वर्षों से देश में प्रशिक्षित संचार पेशेवरों को तैयार करने में सबसे आगे बना हुआ है।

मास मीडिया में उद्योग-उन्मुख पाठ्यक्रमों की पेशकश करते हुए, आईआईएमसी का अपने छात्रों के लिए एक उत्कृष्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। इसे *इंडिया टुडे, आउटलुक* और *द वीक-हंसा द्वारा* 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 में शैक्षणिक संस्थानों की वार्षिक रैंकिंग में देश में नंबर 1 मीडिया संस्थान का दर्जा दिया गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर पेश किए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के अलावा, संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण मीडिया शिक्षा प्रदान करने के लिए आईआईएमसी का अपना, नई दिल्ली में पूर्ण विकसित परिसर में मुख्यालय, क्षेत्रीय परिसर ढेंकनाल, ओडिशा (1993 में स्थापित) आइजोल, मिजोरम (2011 में स्थापित); अमरावती, महाराष्ट्र (2011 में स्थापित); जम्मू, जम्मू और कश्मीर (2012 में स्थापित); और कोट्टायम, केरल (1995 में स्थापित) है।

स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम 2024-25

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम	सीटों की संख्या	परिसर
1	मीडिया बिजनेस स्टडीज में स्नातकोत्तर	40	आईआईएमसी नई दिल्ली
2	स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन में स्नातकोत्तर	40	आईआईएमसी नई दिल्ली
	कुल सीटें	80	

स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2024-25

आईआईएमसी नई दिल्ली **और क्षेत्रीय परिसरों में निम्नलिखित एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम चलाए जा** रहे हैं:

क्रम संख्या	पाठ्यक्रम	सीटों की संख्या	परिसर
1	पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (अंग्रेजी)	68 68 30 30 30 30	आईआईएमसी नई दिल्ली आईआईएमसी ढेंकनाल आईआईएमसी आइजोल आईआईएमसी अमरावती आईआईएमसी कोट्टायम आईआईएमसी जम्मू
2	पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (हिंदी)	68 30 30	आईआईएमसी नई दिल्ली आईआईएमसी जम्मू आईआईएमसी अमरावती
3	रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (द्विभाषी – अंग्रेजी और हिंदी)	51	आईआईएमसी नई दिल्ली

4	विज्ञापन एवं जनसंपर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (द्विभाषी - अंग्रेजी और हिंदी)	77	आईआईएमसी नई दिल्ली
5	डिजिटल मीडिया में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	30 30 30 30	आईआईएमसी नई दिल्ली आईआईएमसी आइजोल आईआईएमसी जम्मू आईआईएमसी कोट्टायम
6	पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (उड़िया)	30	आईआईएमसी ढेंकनाल
7	पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (मराठी)	30	आईआईएमसी अमरावती
8	पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (मलयालम)	30	आईआईएमसी कोट्टायम
9	पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (उर्दू)	30	आईआईएमसी नई दिल्ली
	कुल सीटें	752	

स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम 2024-25

1. मीडिया बिजनेस स्टडीज में स्नातकोत्तर

कार्यक्रम संरचना: मीडिया बिजनेस स्टडीज में स्नातकोत्तर (एमएएमबीएस) पाठ्यक्रम का उद्देश्य मीडिया उद्योग के तेजी से विकसित हो रहे परिदृश्य को समझने के लिए ज्ञान, कौशल और अभिनव मानसिकता से लैस दूरदर्शी मीडिया उद्योग प्रबंधकों और लीडर्स की एक नई पीढ़ी को विकसित करना है, जो रणनीतिक सोच और नैतिक निर्णय लेने में उत्कृष्टता रखते हैं। कठोर शैक्षणिक जांच, व्यावहारिक सीखने के अनुभव और उद्योग साझेदारी के माध्यम से, एमबीएस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को सकारात्मक बदलाव लाने, रचनात्मक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और दुनिया भर में मीडिया उद्यमों के भविष्य को आकार देने के लिए सशक्त बनाना है। कार्यक्रम मीडिया बिजनेस स्टडीज में एक व्यापक और अंतःविषयक शिक्षा प्रदान करता है और सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक कौशल और वास्तविक दुनिया के अनुभव के साथ मिश्रित करके व्यक्तियों को नवाचार को आगे बढ़ाने, उद्योग के रुझान को आकार देने और वैश्विक मीडिया परिदृश्य में सकारात्मक योगदान देने के लिए सशक्त बनाता है।

कार्यक्रम के उद्देश्य

1. शिक्षार्थियों को मीडिया उद्योग की गतिशीलता, इसकी प्रणालियों, संरचना और चुनौतियों की व्यापक समझ से परिचित कराना।
2. गतिशील बाजार प्रवृत्तियों और तकनीकी प्रगति के अनुकूल होने के लिए रणनीतियों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना।
3. शिक्षार्थियों को सफल व्यावसायिक संचालन के लिए महत्वपूर्ण प्रभावी संचार और टीमवर्क कौशल विकसित करने में सहायता मिलेगी।
4. विपणन, वित्त, संचालन और मानव संसाधन जैसे विभिन्न व्यावसायिक कार्यों का पता लगाना।
5. मीडिया व्यवसाय के संदर्भ में सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक रणनीतिक सोच और विश्लेषणात्मक क्षमताओं से शिक्षार्थियों को सुसज्जित करना।
6. व्यावसायिक निर्णय लेने में नैतिक विचारों, सामाजिक जिम्मेदारियों और नियामक ढांचे की जांच करना।
7. मीडिया क्षेत्र की विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक सोच, रणनीतिक विश्लेषण और समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ावा देना।
8. मीडिया उद्यमों में विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षार्थियों में रचनात्मकता, नवाचार और उद्यमशीलता की मानसिकता को बढ़ावा देना।
9. वास्तविक दुनिया की केस स्टडीज, मीडिया व्यवसाय की गतिशीलता और निर्णय लेने के कौशल का विश्लेषण करना।

दोनों स्नातकोत्तर कार्यक्रम 88 क्रेडिट के कार्यक्रम हैं, जो चार सेमेस्टर में विभाजित हैं। एक शिक्षार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में 22 क्रेडिट के पांच पेपर चुनने होते हैं। इन पाठ्यक्रमों को अलग-अलग नामकरण के साथ विभाजित किया गया है, जैसे अनुशासन आधारित कोर पाठ्यक्रम (डीबीसीसी), अनुशासन आधारित कोर इलेक्टिव पाठ्यक्रम (DBCE), ओपन इलेक्टिव इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स (OEIC) और अनिवार्य नॉन-क्रेडिट इलेक्टिव कोर्स (MNEC). प्रत्येक सेमेस्टर का संचालन नई दिल्ली परिसर में किया जायेगा। शिक्षार्थियों को दूसरे सेमेस्टर (पहले वर्ष के अंत में) और तीसरे सेमेस्टर (दूसरे वर्ष की शुरुआत) के बीच गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अनिवार्य इंटर्नशिप करनी होगी।

2. स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन में स्नातकोत्तर

कार्यक्रम संरचना: स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन (एमएएससी) कार्यक्रम को वैश्विक सामरिक संचार क्षेत्र, राष्ट्रों, राजनीति, व्यक्तियों, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, निगमों, कूटनीति और रक्षा के लिए इसकी भूमिका और प्रासंगिकता की गहन समझ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, साथ ही तेजी से बदलते संचार परिदृश्य में सूचना युद्ध, संकट संचार, धारणा और ब्रांड प्रबंधन और भू-राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उभरते सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों की खोज और जांच भी की जाएगी। यह कार्यक्रम एशियाई क्षेत्र में उभरती रणनीतिक चुनौतियों और अवसरों पर तीव्र ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक रणनीतिक संचार की गतिशीलता का पता लगाता है। यह मीडिया और वैश्विक संचार को विभिन्न विकासात्मक मुद्दों से जोड़ने के उद्देश्य से अंतःविषयक और बहु-विषयक दृष्टिकोणों पर जोर देता है।

विजन: विश्व स्तर के पेशेवरों को तैयार करना जो वैश्विक रणनीतिक संचार क्षेत्र को समझते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके रक्षा से लेकर कूटनीति, विकास, व्यापार, राजनीति, शासन आदि तक के विभिन्न क्षेत्रों में परिणामोन्मुखी संचार रणनीतियों को डिजाइन करते हैं।

कार्यक्रम के उद्देश्य

1. वैश्विक रणनीतिक संचार क्षेत्र और भारत के समक्ष आज मौजूद रणनीतिक चुनौतियों की गहन समझ विकसित करना, तथा शिक्षार्थियों को वैश्विक रणनीतिक संचार की क्षमता और सीमाओं की सराहना करने में सक्षम बनाना।
2. वैश्विक सूचना युद्ध के दौरान उपयोग की जाने वाली डिजिटल प्रौद्योगिकी और रणनीतियों की समझ विकसित करना। उन्नत संचार और डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके प्रभावी संकट संचार रणनीतियों को डिजाइन और निष्पादित करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना।
3. शिक्षार्थियों को रणनीतिक संचार अनुसंधान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, उनके द्वारा सीखी गई बातों को वास्तविक जीवन की संचार समस्या पर लागू करना तथा रणनीतिक संचार में निपुणता प्रदर्शित करना।
4. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक संचार में उपलब्ध विभिन्न कैरियर के अवसरों से शिक्षार्थियों को परिचित कराना।

स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2024-25

1. पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (अंग्रेजी)

पाठ्यक्रम का उद्देश्य: दो सेमेस्टर की अवधि में, छात्रों को संचार क्षेत्र का व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जाएगा। एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मीडिया को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नैतिकता और मूल्यों को प्रदान करने पर जोर दिया जाएगा। छात्रों को सिद्धांत और व्यावहारिक सत्रों के संयोजन के माध्यम से पाठ्यक्रम रिपोर्टिंग, संपादन, उत्पादन और वितरण की नई और विकसित तकनीकों से अवगत कराया जाएगा। पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान, छात्र लैब जर्नल और अन्य प्रकाशनों की रिपोर्ट, संपादन और सृजन करेंगे।

शामिल विषय: संचार: अवधारणाएं, प्रक्रियाएं और सिद्धांत, पत्रकारिता का इतिहास और प्रेस की भूमिका, मीडिया कानून और नैतिकता, संपादन और रिपोर्टिंग, न्यू मीडिया और वेब पत्रकारिता, रेडियो और टीवी पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता, मीडिया प्रबंधन, विज्ञापन और जनसंपर्क और डिजिटल पत्रकारिता।

2. पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (हिंदी)

(पाठ्यक्रम के उद्देश्य पत्रकारिता (अंग्रेजी) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के समान हैं)

शामिल विषय: संचार: अवधारणाएं, प्रक्रियाएं और सिद्धांत, पत्रकारिता का इतिहास और प्रेस की भूमिका, मीडिया कानून और नैतिकता, नए मीडिया और डिजिटल पत्रकारिता का संपादन और रिपोर्टिंग, रेडियो और टीवी पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता, मीडिया उद्योग और इसकी प्रबंधन संरचना, विज्ञापन और जनसंपर्क आदि।

3. रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

पाठ्यक्रम के उद्देश्य: इस पाठ्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य मौखिक शब्दों और दृश्यों के माध्यम से उच्च स्तर की संचार क्षमता विकसित करना है। छात्रों को रेडियो और टेलीविजन के लिए रिपोर्टिंग करने, कैमरा हैंडलिंग, वीडियो संपादन, ध्वनि रिकॉर्डिंग और वर्तमान में प्रचलित दृश्य-श्रव्य सॉफ्टवेयर के उपयोग का मौका दिया जाएगा।

शामिल विषय: संचार - अवधारणाएं, प्रक्रियाएं और सिद्धांत, रेडियो और टीवी पत्रकारिता पर विशेष जोर के साथ पत्रकारिता का परिचय, रेडियो और टीवी पत्रकारिता - अवधारणाएं और प्रक्रियाएं, रेडियो समाचार - रिपोर्टिंग, संपादन और बुलेटिन उत्पादन, टीवी समाचार - रिपोर्टिंग, संपादन और बुलेटिन प्रस्तुति और उत्पादन, प्रसारण मीडिया प्रबंधन, न्यू मीडिया और डिजिटल पत्रकारिता, प्रिंट मीडिया, विकास संचार और विज्ञापन और जनसंपर्क।

4. विज्ञापन एवं जनसंपर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

पाठ्यक्रम के उद्देश्य: इस पाठ्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य संचार, विपणन, विज्ञापन, जनसंपर्क और कॉर्पोरेट संचार के सिद्धांतों और अवधारणाओं की गहरी समझ प्रदान करना है। प्रौद्योगिकी और रचनात्मकता के बीच तालमेल बनाने में मदद करने के लिए छात्रों को संचार के नवीनतम साधनों से परिचित कराने पर जोर दिया जाएगा। छात्रों को समकालीन विषयों पर 360 डिग्री अभियान तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए समूहों में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

शामिल विषय: संचार - अवधारणाएं, प्रक्रियाएं और सिद्धांत, विपणन संचार, विज्ञापन: सिद्धांत, अवधारणाएं और प्रबंधन, अभियान योजना और प्रबंधन, मीडिया योजना, सरकार और लोक सेवा संचार, जनसंपर्क और कॉर्पोरेट संचार, न्यू मीडिया - अवधारणाएं और अनुप्रयोग, संचार और विपणन अनुसंधान।

5. क्षेत्रीय भाषाओं में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम

पाठ्यक्रम के उद्देश्य: जनसंचार के क्षेत्रीय पहलुओं जैसे क्षेत्रीय भाषा, संस्कृति और व्यवहारों पर विशेष ध्यान देने के साथ क्षेत्रीय भाषाओं में पत्रकारिता के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करना। इसका उद्देश्य पेशेवर रूप से योग्य और प्रशिक्षित पत्रकार तैयार करना है जो क्षेत्रीय भाषा मीडिया की बारीकियों से अच्छी तरह वाकिफ हों और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सशक्त हों।

दो सेमेस्टर की अवधि में, छात्रों को सामान्य रूप से और संबंधित राज्य/भाषा के संचार के व्यापक परिप्रेक्ष्य के साथ प्रदान किया जाएगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मीडिया को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नैतिकता और मूल्यों

को प्रदान करने पर जोर दिया जाएगा। छात्रों को सिद्धांत और व्यावहारिक सत्रों के संयोजन के माध्यम से रिपोर्टिंग, संपादन, उत्पादन और वितरण की नई और विकसित तकनीकों से अवगत कराया जाएगा। अपने पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान, छात्र अपनी संबंधित भाषाओं में लैब जर्नल और अन्य प्रकाशनों की रिपोर्ट, संपादन और सृजन करेंगे। उन्हें टीवी, रेडियो और डिजिटल मीडिया में भी प्रशिक्षित किया जाएगा।

5.1 पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (मलयालम)

शामिल विषय

संचार: अवधारणाएं, प्रक्रियाएं और सिद्धांत।

मलयालम पत्रकारिता का इतिहास।

मीडिया कानून और नैतिकता

संपादन और रिपोर्टिंग

न्यू मीडिया और वेब पत्रकारिता, डेटा पत्रकारिता और मोबाइल पत्रकारिता।

रेडियो और टीवी पत्रकारिता, वीडियो संपादन, वीडियोग्राफी और रेडियो प्रोडक्शन।

केरल से संबंधित सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर जोर देने के साथ विकास पत्रकारिता।

मीडिया प्रबंधन, विज्ञापन और जनसंपर्क, कॉर्पोरेट संचार

5.2 पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (मराठी)

शामिल विषय

संचार: अवधारणाएं, प्रक्रियाएं और सिद्धांत।

मराठी पत्रकारिता का इतिहास

मीडिया कानून और नैतिकता

संपादन और रिपोर्टिंग

न्यू मीडिया और वेब पत्रकारिता

रेडियो और टीवी पत्रकारिता

महाराष्ट्र से संबंधित सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर जोर देने के साथ विकास पत्रकारिता।

मीडिया प्रबंधन, विज्ञापन और जनसंपर्क

5.3 पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (उड़िया)

शामिल विषय

संचार: अवधारणाएं, प्रक्रियाएं और सिद्धांत।

उड़िया पत्रकारिता का इतिहास।

मीडिया कानून और नैतिकता

संपादन और रिपोर्टिंग

न्यू मीडिया और वेब पत्रकारिता

रेडियो और टीवी पत्रकारिता

ओडिशा और पूर्वी भारत से संबंधित सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर जोर देने के साथ विकास पत्रकारिता।

मीडिया प्रबंधन, **विज्ञापन और जनसंपर्क**

5.4 पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (उर्दू)

शामिल विषय

संचार: अवधारणाएं, **प्रक्रियाएं और सिद्धांत।**

उर्दू पत्रकारिता का इतिहास,

मीडिया कानून और नैतिकता

संपादन और रिपोर्टिंग

न्यू मीडिया और डिजिटल पत्रकारिता

रेडियो और टीवी पत्रकारिता

विकास पत्रकारिता, **विज्ञापन और जनसंपर्क**, समाचार पत्र प्रबंधन और उद्यमशीलता पत्रकारिता

6. डिजिटल मीडिया में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

पाठ्यक्रम के उद्देश्य: इस पाठ्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को पत्रकारिता, जनसंपर्क, विज्ञापन, कॉर्पोरेट संचार और विकास संचार के क्षेत्र में नई और उभरती प्रौद्योगिकियों और उनके आवेदन से परिचित कराना है। विभिन्न प्रकार के डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके छात्रों को विभिन्न प्रकार के रूपों में मीडिया संदेश बनाने के लिए एक्सपोजर दिया जाएगा।

शामिल किए गए विषय- न्यू मीडिया, न्यू मीडिया और समाज, इंटरनेट को एक माध्यम के रूप में समझना, मीडिया और आईटी कानून, **ऑनलाइन रिसर्च**, ऑनलाइन जर्नलिज्म, सोशल मीडिया, **डिजिटल मार्केटिंग**, डिजिटल जनसंपर्क और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, बिग डेटा, डेटा जर्नलिज्म, न्यू मीडिया और डेवलपमेंट , ई-गवर्नेंस, तथ्य-जाँच, सत्यापन और मीडिया उद्यमिता।

(आईआईएमसी में सभी पाठ्यक्रम संस्थान के आंतरिक संकाय द्वारा पढ़ाए जाते हैं, तथा अपने-अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले उद्योग/पेशे के विशेषज्ञों द्वारा अतिथि व्याख्यान भी दिए जाते हैं। **)**

पाठ्यक्रमों में प्रवेश

चयन प्रक्रिया:

श्रेणी 1- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम :

- प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा "मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (सीओक्यूपी17)" विषय में आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी-पीजी) और साक्षात्कार के आधार पर दिए जाएंगे। मेरिट सूची सीयूईटी-पीजी स्कोर (85% वेटेज) और साक्षात्कार में स्कोर (15% वेटेज) के आधार पर तैयार की जाएगी।
- रक्षा सेवाओं, उद्योग और सरकारी संस्थानों से कम से कम 10 वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के लिए केवल साक्षात्कार होगा और उन्हें अतिरिक्त सीटों (स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त) पर चुना जाएगा।

श्रेणी 2 - सीयूईटी-पीजी के माध्यम से स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम :

- अंग्रेजी, हिंदी, रेडियो एवं टीवी, डिजिटल मीडिया और विज्ञापन एवं जनसंपर्क में पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश "मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (सीओक्यूपी 17)" में सीयूईटी-पीजी और उसके बाद की काउंसलिंग प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।

श्रेणी 3 - स्नातकोत्ता डिप्लोमा पाठ्यक्रम (उड़िया, मराठी, मलयालम, उर्दू):

- उड़िया, मराठी, मलयालम और उर्दू पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश भारतीय जन संचार संस्थान द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। इसकी अधिसूचना आईआईएमसी की वेबसाइट www.iimc.gov.in पर उपलब्ध है।

श्रेणी 2 और श्रेणी 3 स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए विशेष: अंतिम श्रेणीवार और पाठ्यक्रमवार रैंक सूची और प्रवेश उम्मीदवारों के 100 अंकों में से कुल स्कोर के आधार पर तय किया जाएगा। यदि दो या अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं, तो आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार को रैंक सूची में वरीयता दी जाएगी।

पात्रता :

श्रेणी 1 - स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : किसी भी विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त स्नातक की डिग्री रखने वाले भारतीय नागरिक स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं ।

श्रेणी 2 और श्रेणी 3 - स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम : किसी भी विषय में स्नातक आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

नोट: सभी कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों के लिए, वे छात्र जो अपनी स्नातक डिग्री के अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल हुए हैं/हो रहे हैं, वे भी आवेदन करने के पात्र हैं। यदि उनका चयन होता है, तो उनका प्रवेश 30 सितंबर, 2024 तक उनके कॉलेज/विश्वविद्यालय से कम से कम एक प्रोविजनल अंक पत्र/प्रमाणपत्र मूल रूप में प्रस्तुत करने के अधीन होगा, (कारणों का पता लगाने के बाद वास्तविक मामलों में विस्तार किया जा सकता है)। कार्यक्रम पूरा होने पर, डिग्री/डिप्लोमा तभी प्रदान किया जाएगा जब आईआईएमसी के कार्यालय में सत्यापन के लिए मूल डिग्री प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

जन्म की तारीख:

श्रेणी 1 - स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।

श्रेणी 2 और श्रेणी 3 - स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम : सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों का जन्म 1.8.1999 या उसके बाद होना चाहिए (1 अगस्त, 2024 तक अधिकतम 25 वर्ष)। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के उम्मीदवारों के लिए, जन्म तिथि 1.8.1994 या उसके बाद होनी चाहिए (1 अगस्त, 2024 तक अधिकतम 30 वर्ष)। ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए, जन्म तिथि 1.8.1996 या उसके बाद होनी चाहिए (1 अगस्त, 2024 तक 28 वर्ष)।

आरक्षण :

आईआईएमसी समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान (सीटों का आरक्षण) अधिनियम 2006 के तहत अनिवार्य रूप से प्रवेश में आरक्षण का पालन करेगा।

आईआईएमसी दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार सभी अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश में आरक्षण का पालन करेगा।

तदनुसार, आईआईएमसी निम्नलिखित छात्रों के लिए प्रवेश हेतु सभी अध्ययन कार्यक्रमों में सीटें आरक्षित रखेगा:

अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी	15%
अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी	7.5%
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी - गैर-क्रीमी लेयर (एनसीएल) (केन्द्रीय सूची के अनुसार)	27%
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी	10%

विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) अधिनियम 2016 की धारा 2 (वी) और (जेडसी) द्वारा परिभाषित 40% या अधिक विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए 5% आरक्षण होगा। सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी भी विकलांगता के चालीस प्रतिशत (40%) से कम नहीं होने वाले व्यक्तियों को पीडब्ल्यूडी श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा।

आरक्षित श्रेणियों के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने के समय निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी श्रेणी प्रमाण पत्र (एससी / एसटी / ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र / ईडब्ल्यूएस / पीडब्ल्यूडी) जमा करना होगा और प्रवेश / पंजीकरण के समय सत्यापन के लिए मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा। गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र पंजीकरण की तारीख से छह (6) महीने से पहले जारी नहीं किया जाना चाहिए।

यदि आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त करता है, तो उसे सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार माना जाएगा। यदि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो इन्हें अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता है और इसके विपरीत। यदि ओबीसी

के लिए आरक्षित सीटों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो इन्हें सामान्य श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता है।

अतिरिक्त सीटें (पृष्ठ 4 पर तालिका में दी गई स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त)

श्रेणी 1 - स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम : प्रत्येक पाठ्यक्रम में निम्नलिखित के लिए आठ (08) सीटें आरक्षित होंगी :

- कश्मीर घाटी में रहने वाले कश्मीरी प्रवासियों और कश्मीरी पंडितों/कश्मीरी हिंदू परिवारों (गैर-प्रवासी) के आश्रित;
- कार्रवाई के दौरान या शांति काल में शहीद हुए/अक्षम हुए रक्षा कार्मिकों की विधवाएं/आश्रित :
- रक्षा सेवा कार्मिक (कम से कम 10 वर्ष का अनुभव)
- उद्योग पेशेवर (कम से कम 10 वर्ष का अनुभव)
- अन्य राज्य एवं केंद्र सरकार संस्थान (कम से कम 10 वर्ष का अनुभव)
- अंतर्राष्ट्रीय आवेदक - IIMC (admissions@iimc.gov.in) पर सीधे आवेदन/पत्र लिखकर ऑनलाइन साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकते हैं। उन्हें अपने आवेदन के साथ 100 अमेरिकी डॉलर का पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा।

श्रेणी 2 और श्रेणी 3 - स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम :

एनआरआई/एनआरआई प्रायोजित उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक कार्यक्रम में पाँच (05) अतिरिक्त सीटें उपलब्ध हैं । एनआरआई कोटा उम्मीदवारों के लिए पात्रता, मानदंड और आयु सीमा ऊपर बताए गए अनुसार ही हैं । हालाँकि, एनआरआई/एनआरआई प्रायोजित कोटा के तहत आवेदक सीधे आईआईएमसी (एनटीए के माध्यम से नहीं) में आवेदन/पत्र देने के बाद 50 अमेरिकी डॉलर का प्रवेश शुल्क जमा करके ऑनलाइन साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकते हैं। **एनआरआई कोटा के लिए शुल्क बाद में बताए गए अनुसार है और इसे एक बार में ही भुगतान करना होगा।**

प्रवेश प्रक्रिया का विवरण (श्रेणी 2 और श्रेणी 3 स्नातकोत्तर डिप्लोमा)

एनटीए द्वारा परिणाम घोषित किए जाने के बाद, आईआईएमसी मेरिट सूची जारी करेगा और छात्रों को एक काउंसलिंग फॉर्म भरना होगा, जिसमें पाठ्यक्रम और केंद्र की प्राथमिकता दर्शाई जाएगी । प्रत्येक पाठ्यक्रम और प्रत्येक परिसर में अस्थायी रूप से प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की सूची श्रेणीवार मेरिट सूची के आधार पर तैयार की जाएगी, पाठ्यक्रम/सीट आवंटन मानदंडों के अनुसार आईआईएमसी की वेबसाइट www.iimc.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा। कैंपस का आवंटन (अंग्रेजी, हिंदी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के लिए लागू) मेरिट-कम-वरीयता के आधार पर होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे काउंसलिंग के समय अपनी पसंद के क्रम में सभी क्षेत्रीय परिसरों को रैंक करें। यदि कोई उम्मीदवार कैंपस का विकल्प खाली छोड़ता है, तो IIMC वर्णमाला रोस्टर के आधार पर उम्मीदवार को कैंपस आवंटित करेगा। सफल उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन निर्धारित शुल्क जमा करके अपना प्रवेश सुरक्षित करने के लिए अधिकतम सात दिन का समय दिया जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग योजना के तहत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में नामित प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

अस्थायी प्रवेश के बाद, IIMC में एक **केंद्रीकृत पंजीकरण प्रक्रिया होगी** जिसमें दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इस दौर के लिए, छात्रों को **काउंसलिंग के दौरान भरे गए NIC फॉर्म का प्रिंटआउट अपने माता-पिता के हस्ताक्षर के साथ**

लाना होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, छात्रों को एक प्रवेश पर्ची जारी की जाएगी। प्राप्त प्रवेशों की संख्या के आधार पर, आगे के दौर के परिणामों की घोषणा की जाएगी। यदि किसी भी परिसर में कोई सीट खाली रहती है, तो उसे श्रेणीवार मेरिट सूची के अनुसार किसी भी इच्छुक उम्मीदवार को दिया जाएगा। एससी, एसटी, विकलांग व्यक्तियों और ईडब्ल्यूएस के लिए सीटों का आरक्षण भारत सरकार के आदेशों/नियमों के अनुसार होगा।

शुल्क संरचना

श्रेणी 1 - स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम				
पाठ्यक्रम का नाम	**ट्यूशन फीस (रु.)**	**पुस्तकालय शुल्क (वापसी योग्य)(रु.)**	**छात्र कल्याण निधि (रु.)**	**कुल योग (रु.)**
स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन में स्नातकोत्ता	2,40,000	5,000	3,500	2,48,500
मीडिया बिजनेस स्टडीज में स्नातकोत्तर	2,40,000	5,000	3,500	2,48,500

सेमेस्टर I शुल्क : ट्यूशन फीस का 25% + पुस्तकालय शुल्क + छात्र कल्याण निधि

सेमेस्टर II शुल्क : ट्यूशन फीस का 25%

सेमेस्टर III शुल्क : ट्यूशन फीस का 25%

सेमेस्टर IV शुल्क : ट्यूशन फीस का 25%

श्रेणी 2 और श्रेणी 3 - स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम				
पाठ्यक्रम का नाम	**ट्यूशन फीस (रु.)**	**पुस्तकालय शुल्क (वापसी योग्य) (रु.)**	**छात्र कल्याण निधि (रु.)**	**कुल योग (रु.)**
पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (अंग्रेजी)	87,000	5,000	3,500	95,500
पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (हिंदी)	87,000	5,000	3,500	95,500
रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1,60,000	5,000	3,500	1,68,500
विज्ञापन एवं जनसंपर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	1,23,000	5,000	3,500	1,31,500

डिजिटल मीडिया में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	2,00,000	5,000	3,500	2,08,500
पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (मलयालम)	47,000	5,000	3,500	55,500
पत्रकारिता मेंस्नातकोत्तर डिप्लोमा (मराठी)	47,000	5,000	3,500	55,500
पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (उड़िया)	47,000	5,000	3,500	55,500
पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (उर्दू)	47,000	5,000	3,500	55,500

सेमेस्टर I शुल्क : ट्यूशन फीस का 50% + पुस्तकालय शुल्क + छात्र कल्याण निधि

सेमेस्टर II शुल्क : ट्यूशन फीस का 50%

छात्र कल्याण निधि का उपयोग विविध व्यय, छात्र कल्याण गतिविधियों, कल्याण केन्द्र की सेवाओं आदि के लिए किया जाता है।

*** उपरोक्त शुल्क पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए प्रभावी होगा और एक बार प्रवेश दिए जाने के बाद पाठ्यक्रम शुल्क में किसी भी संशोधन के लिए छात्र केकिसी भी अनुरोध/मांग पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसे संस्थान के सभी नियमों का पालन करने के लिए उसकी तत्परता के रूप में भी देखा जाएगा। इसमें, जहॉ भी लागू होपात्र नि:शुल्क वृत्ति के साथ या इसके बिना, निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान करने की इच्छा शामिल है।**

पाठ्यक्रम शुल्क की पहली किस्त कार्यक्रम शुरू होने से पहले निर्धारित तिथि तक जमा करानी होगी। ट्यूशन फीस की दूसरी किस्त IIMC द्वारा निर्धारित तिथि तक चुकानी होगी। एमए कार्यक्रमों के लिए, तीसरे और चौथे सेमेस्टर की फीस IIMC द्वारा निर्धारित तिथि तक चुकानी होगी ।

विलंब शुल्क देय तिथि के पश्चात 20 रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। विलंब शुल्क सहित शुल्क जमा न करने पर 1 मार्च, 2026 (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए) तथा 1 मार्च, 2025 (स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए) को चूककर्ताओं के नाम काट दिए जाएंगे। 1 मार्च, 2026 (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए) तथा 1 मार्च, 2025 (स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए) के पश्चात पुनः प्रवेश पर 500 रुपये का पुनः प्रवेश शुल्क लिया जाएगा। पुनः प्रवेश का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित है।

शुल्क संरचना – अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी और एनआरआई/एनआरआई प्रायोजित

श्रेणी 1 - स्नातकोत्तर (अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी)	
पाठ्यक्रम का नाम	**शुल्क (अमेरिकी डॉलर में)**

मीडिया बिजनेस स्टडीज में स्नातकोत्तर	16,000*
स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन में स्नातकोत्तर	16,000*

*शुल्क का भुगतान आईआईएमसी द्वारा निर्धारित तिथि तक क्रमशः प्रथम वर्ष और दूसरे वर्ष के प्रारंभ से पहले 8,000-8,000 डॉलर की दो किस्तों में किया जाना है।

श्रेणी 2 और श्रेणी 3 - स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (एनआरआई/एनआरआई प्रायोजित कोटा)

पाठ्यक्रम का नाम	शुल्क (अमेरिकी डॉलर में)
पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (अंग्रेजी)	8,000#
पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (हिंदी)	8,000#
रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	12,000#
विज्ञापन एवं जनसंपर्क में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	12,000#
डिजिटल मीडिया में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	14,000#
पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (मलयालम, मराठी, ओडिया, उर्दू)	4600#

 # आईआईएमसी द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार कार्यक्रम शुरू होने से पहले एकमुश्त शुल्क का भुगतान किया जाना है

शुल्क वापसी नीति

आईआईएमसी इस संबंध में समय-समय पर जारी यूजीसी के दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

प्रवेश रद्द करना

यदि किसी भी स्तर पर किसी अभ्यर्थी की अयोग्यता का पता चलता है, किसी भी कारण से जिसमें गलत/जाली/अधूरे दस्तावेज शामिल हैं, परीक्षा से पहले या बाद में/परिणाम की घोषणा या कार्यक्रम के किसी भी चरण के दौरान , तो उसकी उम्मीदवारी/प्रवेश बिना किसी नोटिस के रद्द कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और पुस्तकालय शुल्क और छात्र कल्याण निधि सहित पूरी फीस भी जब्त कर ली जाएगी।

महानिदेशक किसी भी स्तर पर विशिष्ट कारणों से किसी भी छात्र का प्रवेश रद्द कर सकते हैं।

वित्तीय सहायता

निशुल्क वृत्ति(फ्रीशिप): इसमें जरूरतमंद विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता का प्रावधान है। दिल्ली और सभी क्षेत्रीय परिसरों में योग्यता-सह-साधन आधार पर प्रत्येक स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स के लिए आधी/चौथाई निशुल्क वृत्ति उपलब्ध हैं। हर साल, छात्रों के लिए उपलब्ध निशुल्क वृत्ति के लि**ए आवेदकों में से योग्य उम्मीदवारों का चयन करने के लिए एक समिति गठित की जाती है। निशुल्क** वृत्ति के लिए आवेदन करने के उद्देश्य से, एक अधिकारी, विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के पद से कम नहीं, द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए और वह आवेदन प्रपत्रों में परिलक्षित वार्षिक घरेलू आय से मेल खाना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ जमा की गई घोषणा से भिन्न घरेलू आय से संबंधित कोई अन्य घोषणा छात्रवृत्ति/मुक्ति के उद्देश्य से स्वीकार नहीं की जाएगी। अतिरिक्त सीटों पर भर्ती छात्रों को फ्रीशिप प्रदान नहीं की जाएगी।

छात्रवृत्ति श्रेणी 2 और 3 के लिए :

1.	**'रति अग्रवाल छात्रवृत्ति'** हिंदी पत्रकारिता पाठ्यक्रम की मेधावी छात्रा को प्रवेश परीक्षा में उसके प्रदर्शन के आधार पर प्रदान की जाएगी।
2.	**'स्टार टीवी छात्रवृत्ति'** रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता के मेधावी छात्र को प्रवेश परीक्षा में उसके प्रदर्शन के आधार पर प्रदान की जाएगी।
3.	**'अचिन गांगुली छात्रवृत्ति'** विज्ञापन एवं जनसंपर्क पाठ्यक्रम के दो मेधावी छात्रों को प्रवेश परीक्षा में उनके प्रदर्शन और कार्यक्रम पूरा होने के बाद अंतिम परिणाम के आधार पर प्रदान की जाएगी।
4.	**'जसविंदर सिंह मेमोरियल छात्रवृत्ति'** हिंदी पत्रकारिता और रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता के दो मेधावी छात्रों को उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रदान की जाएगी।

शैक्षणिक कैलेंडर

जैसे ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा, **एक विस्तृत शैक्षणिक कैलेंडर**/पाठ्यक्रमों के विवरण की घोषणा/**प्रकाशन किया जाएगा।**

परिसर में सुविधाएं

पुस्तकालय: आईआईएमसी, नई दिल्ली में देश का सबसे बड़ा विशिष्ट जनसंचार पुस्तकालय है। इसमें जनसंचार और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं पर पुस्तकों और पत्रिकाओं के 40,000 से अधिक शीर्षकों का संग्रह है। पुस्तकालय संचार के क्षेत्र में विभिन्न प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं की सदस्यता भी लेता है।

पुस्तकालय पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत है और छात्रों और संकाय सदस्यों के लिए ऑन-लाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग (ओपेक) और ऑनलाइन जर्नल उपलब्ध हैं। पुस्तकालय ने छात्रों, शिक्षकों और शोधार्थियों के लिए एक अत्याधुनिक मल्टीमीडिया, संदर्भ और अनुसंधान अनुभाग भी विकसित किया है। पुस्तकालय सोमवार से शनिवार सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक खुला रहता है।

प्रत्येक छात्र को पुस्तकालय सुरक्षा जमा राशि के तौर पर 5,000 रुपये की राशि जमा करनी होगी। प्रत्येक छात्र को एक सप्ताह के लिए एक बार में दो पुस्तकें लेने की अनुमति है। यदि कोई छात्र पुस्तकालय की किताब खो देता है, तो उसे उसे बदले में दूसरी किताब लाकर देनी चाहिए या उसकी कीमत चुकानी चाहिए।

छात्र द्वारा लाइब्रेरियन द्वारा जारी नो-ड्यू सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने के बाद पाठ्यक्रम के अंत में लाइब्रेरी शुल्क वापस कर दिया जाएगा। यदि पाठ्यक्रम पूरा होने के एक वर्ष के भीतर धनवापसी का दावा नहीं किया जाता है, तो सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए पुस्तकालय आचार संहिता (**अनुलग्नक बी**) देखी जा सकती है।

प्रकाशन: आईआईएमसी अंग्रेजी में 'कम्युनिकेटर' और हिंदी में 'संचार माध्यम' नामक दो त्रैमासिक शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है । पत्रिकाओं में संचार के क्षेत्र में विभिन्न विकासों पर विद्वानों के शोध पत्र और पुस्तक समीक्षाएँ होती हैं। मास कम्युनिकेशन क्षेत्र और शिक्षा जगत के विख्यात नाम इन पत्रिकाओं में योगदान करते हैं -। आईआईएमसी दो त्रैमासिक पत्रिकाओं, जनसंचार पर एक द्विभाषी पत्रिका संचार सृजन और राजभाषा को समर्पित पत्रिका राजभाषा विमर्शभी प्रकाशित करता है। संस्थान में होने वाली घटनाओं पर एक मासिक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया जाता है। अंग्रेजी और हिंदी में पुस्तकें, शोध संकलनों के अलावा समय-समय पर संपादित संस्करण भी प्रकाशित किए जाते हैं।

उपकरण और आईटी अवसंरचना: संस्थान में संचार की विभिन्न शाखाओं में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं। इसमें अच्छी तरह से सुसज्जित साउंड और टीवी स्टूडियो और अन्य ऑडियो-विजुअल सुविधाएं हैं। टीवी और वीडियो प्रोडक्शन की सुविधाओं में डिजिटल ईएनजी कैमरे, एक मल्टी-कैमरा स्टूडियो सेट-अप, साथ ही सिंक और एसएफएक्स जनरेटर, एडिटिंग कंसोल आदि के साथ कैमरा कंट्रोल यूनिट शामिल हैं। संस्थान में डिजिटल साउंड रिकॉर्डिंग / एडिटिंग और नॉन-लीनियर डिजिटल वीडियो संपादन सुविधाएं हैं। वीडियो संपादन सुविधा में सर्वर आधारित नेटवर्किंग और फाइनल कट प्रो मशीन शामिल हैं। आईआईएमसी में दो दर्जन से अधिक डीएसएलआर कैमरों की व्यापक सुविधा है, जो छात्रों को विभिन्न फोटोग्राफिक कार्यों को संभालने में सक्षम बनाती है। सभी कक्षाएँ वातानुकूलित हैं और प्रोजेक्टर और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री से सुसज्जित हैं।

इलेक्ट्रॉनिक संपादन और कंप्यूटर आधारित ग्राफिक लेआउट डिजाइनिंग और प्रकाशन की सुविधा के लिए संस्थान में कंप्यूटर लैब, मल्टीमीडिया सिस्टम, वीडियो एडिटिंग उपकरण, क्लिप वीडियो कैमरा, वॉयस रिकॉर्डर आदि की सुविधा है। छात्रों को सॉफ्टवेयर पैकेज जैसे एडोब पेज-मेकर, क्वार्क एक्सप्रेस, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा, मैक्रोमीडिया डायरेक्टर, कूल एडिट प्रो, न्यूजरैप, एडोब इनडिजाइन आदि पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

ऑडिटोरियम: आईआईएमसी, नई दिल्ली में 'महात्मा गांधी मंच' नामक 400 से अधिक बैठने की क्षमता वाला ऑडिटोरियम, 'लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मिनी ऑडिटोरियम' नाम से 100 सीटिंग क्षमता वाला छोटा ऑडिटोरियम और 'मेघदूत एम्फीथिएटर' नाम का एक ओपन थियेटर है। इसमें कई सेमिनार हॉल और कॉन्फ्रेंस रूम हैं। इसके अलावा, संस्थान में पार्क और लॉन हैं। स्वामी

विवेकानंद मेमोरियल रॉक के आसपास के पार्क को विशेष रूप से छात्रों के लिए अवकाश के समय में अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया है।

खेलकूद: आईआईएमसी नई दिल्ली परिसर में टेबल टेनिस, बैडमिंटन और वॉलीबॉल खेलने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ढेंकनाल परिसर में बैडमिंटन और टेबल टेनिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोट्टायम परिसर में, बैडमिंटन और शतरंज, कैरम आदि जैसे इनडोर खेलों की सुविधाओं के साथ एक व्यायामशाला प्रदान की जा रही है।

वेलनेस सेंटर और योग: आईआईएमसी नई दिल्ली में एक वेलनेस सेंटर कार्यरत है जहां सामान्य चिकित्सक सोमवार से शनिवार तक आते हैं। छात्रों के लिए परामर्श निःशुल्क है। सप्ताह में एक बार मनोवैज्ञानिक की सेवाएं भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा, सामान्य स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संस्थान में नियमित रूप से योग पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं।

बैंक और एटीएम: भारतीय स्टेट बैंक का एटीएम।

छात्रावास सुविधाएं

दिल्ली परिसर

आईआईएमसी नई दिल्ली परिसर में लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए सीमित छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध हैं। छात्रावास के कमरे योग्यता-सह-साधन और शेयरिंग के आधार पर आवंटित किए जाएंगे। छात्रावास के कमरे/बिस्तर के आवंटन में बाहरी छात्रों के साथ-साथ आर्थिक/सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

क्षेत्रीय परिसर

आईआईएमसी के क्षेत्रीय परिसरों में लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए सीमित छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध हैं।

ढेंकनाल:	लड़के और लड़कियों के लिए डबल ऑक्यूपेंसी कमरे।
आइजोल:	लड़के और लड़कियों के लिए सिंगल ऑक्युपेंसी कमरे।
कोट्टायम:	लड़कियों के लिए डबल ऑक्यूपेंसी कमरे, तथा लड़कों के लिए अस्थायी आधार पर कुछ सीटें आरक्षित हैं।
जम्मू:	लड़के और लड़कियों के लिए डबल ऑक्यूपेंसी कमरे।
अमरावती:	लड़के और लड़कियों के लिए डबल ऑक्यूपेंसी कमरे।

किसी भी परिसर में छात्रावास मिलना अधिकार की बात नहीं है।

परिसर में जीवन

आईआईएमसी का नई दिल्ली स्थित प्रमुख परिसर और ढेंकनाल तथा कोट्टायम स्थित क्षेत्रीय परिसर एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम प्रदान करते हैं , **जिसका उद्देश्य जनसंचार एवं संचार के क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण नौकरी के लिए सर्वांगीण शिक्षा प्रदान करना तथा कौशल विकसित करना है। अन्य क्षेत्रीय परिसरों में भी इसी तरह का माहौल बनाया जाएगा, जब वे अपने स्थायी परिसरों में स्थानांतरित** होंगे।

कक्षा में पढ़ाई के अलावा, **पूरे शैक्षणिक वर्ष के दौरान विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के विशेष व्याख्यान**, व्याख्यान-प्रदर्शन, व्यावहारिक प्रयोग, संस्थागत दौरे, राष्ट्रीय/**अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार**, वीडियो-**लिंक इंटरैक्शन आदि का आयोजन किया जाता है।**

सेमिनार और सम्मेलन: समय-समय पर विभिन्न विषयों और सामयिक मीडिया मुद्दों पर सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए जाते **हैं। प्रमुख मीडिया घरानों और प्रख्यात पेशेवरों को महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श और चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।** पिछले कुछ वर्षों में, **इसने विचारों और विचारों के आदान**-प्रदान के लिए एक मंच बनाने में मदद की है, साथ ही शोधकर्ताओं और विद्वानों के लिए ठोस अवधारणाएँ, **संचार प्रक्रियाएँ और संदर्भ सामग्री विकसित करने में मदद की है। इन आयोजनों में सभी छात्रों का शामिल होना अनिवार्य है। इन आयोजनों के दौरान छात्रों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी।**

परिसर में समारोह: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर समारोहों के अलावा, **आईआईएमसी राष्ट्रीय युवा दिवस** (12 जनवरी), अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 **मार्च**), आईआईएमसी स्थापना दिवस (17 अगस्त), शिक्षक दिवस (5 सितंबर) और राष्ट्रीय प्रेस दिवस (16 नवंबर) **पर कार्यक्रम आयोजित करता है।**

क्षेत्रीय परिसर

आईआईएमसी ढेंकनाल : **आईआईएमसी का पूर्वी भारतीय परिसर** 1993 **में मध्य ओडिशा जिले ढेंकनाल में स्थापित किया गया था। यह देश के पूर्वी हिस्से में पत्रकारिता और जनसंचार में सीखने, प्रशिक्षण और शोध की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए नई** दिल्ली के बाहर स्थापित किया गया **पहला केंद्र था। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग** 80 **किलोमीटर दक्षिण**-पश्चिम में स्थित, **ढेंकनाल राज्य के ग्रामीण और आदिवासी इलाके में बसा है**, जो रेल और सड़क (NH55) **दोनों से जुड़ा हुआ है।**

आईआईएमसी, ढेंकनाल, **जिसने किराए के आवास में अपना संचालन शुरू किया**, मई 2000 **में शहर की हलचल से दूर पनिहोला** (जिसका अर्थ उड़िया में 'लटकता पानी') **पहाड़ियों की गोद में है, अपने स्वयं के परिसर में स्थानांतरित हो गया।** 7.5-एकड़ का नया परिसर गहरे जंगल, विभिन्न प्रकार के पौधों, **जानवरों और कीड़ों के निवास स्थान से घिरा एक राजसी दृश्य प्रस्तुत करता है।**

1993 से, **परिचालन शुरू होने के बाद से** ढेंकनाल परिसर ने 1600 **से अधिक मीडिया पेशेवर तैयार किए हैं।** उनमें से अधिकांश प्रमुख **मुख्यधारा के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया** संगठनों के साथ-**साथ सरकारी प्रतिष्ठानों और गैर सरकारी संगठनों में काम कर रहे हैं। उनमें से कई जनसंपर्क और विज्ञापन क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ ने अपनी खुद की मीडिया इकाइयां** शुरू की हैं; कुछ अकादमिक क्षेत्र में शामिल हो गए हैं।

आईआईएमसी कोट्टायम: दक्षिण भारत में भारतीय जन संचार संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना 1995 **में** कोट्टायम - अक्षरों, रबर और झीलों की भूमि - **में की गई थी। इस**की स्थापना कामकाजी पत्रकारों, **जनसंपर्क पेशेवरों और राज्य** सूचना अधिकारियों को **गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की** गई थी।

2012 में, पहली बार IIMC **कोट्टायम ने अंग्रेजी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर कार्यक्रम की शुरुआत के साथ स्नातक** छात्रों के लिए अपने दरवाजे खोले। तब से, **आईआईएमसी कोट्टायम** प्रतिबद्धता, गुणवत्ता और उद्योग-**तैयारी के साथ लगातार पत्रकारिता** की प्रतिभाओं का

पोषण कर रहा है। क्षेत्रीय परिवेश में पत्रकारिता प्रशिक्षण में नए गुणवत्ता मानक स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में क्षेत्रीय परिसर में मलयालम पत्रकारिता में स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू किया गया था।

2019 में, IIMC के नए और स्थायी दक्षिणी क्षेत्रीय परिसर को कोट्टायम से लगभग 12 किमी दूर पाम्पडी में 10 एकड़ के हरे-भरे, सुंदर स्थान में कार्यात्मक बनाया गया था। यह एक शैक्षणिक सह प्रशासनिक ब्लॉक, छात्रों के लिये छात्रावास, गेस्ट सुइट, स्टाफ क्वार्टर और अन्य सुविधाओं के साथ एक आवासीय परिसर है।

नए परिसर के साथ, आईआईएमसी कोट्टायम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संचार पेशेवरों के लिए नए अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का एक समूह शुरू करके अपने कद को बढ़ाने की कल्पना करता है। आने वाले वर्षों में, आईआईएमसी कोट्टायम दक्षिण भारत में जनसंचार और मीडिया प्रशिक्षण का मुख्य केंद्र बनना चाहता है।

आईआईएमसी अमरावती: 2011 में अमरावती में स्थापित किया गया आईआईएमसी का पश्चिमी क्षेत्रीय परिसर, किंवदंतियों की भूमि, सतपुड़ा रेंज के जंगलों से घिरा हुआ है, और इसने अंग्रेजी में स्नातकोत्तर पत्रकारिता डिप्लोमा कार्यक्रम के साथ स्नातक छात्रों के लिए अपने दरवाजे खोले। इस केंद्र के छात्रों ने उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अत्यधिक उच्च अकादमिक साख अर्जित की है। तब से, इस कोर्स ने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों में करियर बनाने वाले छात्रों के साथ अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित की है।

राष्ट्रीय स्तर पर भाषाई मीडिया में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2017 में मराठी पत्रकारिता कार्यक्रम शुरू किया गया था। 2022-23 से अमरावती में हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भी शुरू किया गया है।

आईआईएमसी आइजोल: आईआईएमसी के आइजोल कैंपस का उद्घाटन 8 अगस्त, 2011 को हुआ था। देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों के प्रसार के बावजूद, इस क्षेत्र में मीडिया प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए शायद ही कोई केंद्र था। आईआईएमसी के आइजोल कैंपस का उद्देश्य मीडिया पेशेवरों को प्रशिक्षित करके इस अंतर को पाटना है जो इस बढ़ते क्षेत्र में योगदान कर सकते हैं।

शुरुआत में संस्थान ने मिजोरम विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अस्थायी परिसर से काम करना शुरू किया और अंग्रेजी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किया। शैक्षणिक सत्र 2022-23 से डिजिटल मीडिया में पीजी डिप्लोमा शुरू किया गया। आईआईएमसी का पूर्ण विकसित स्थायी आवासीय परिसर नवंबर 2022 में 8 एकड़ के हरे-भरे इलाके में बनकर तैयार हो गया है।

आईआईएमसी जम्मू: अखिल भारतीय स्तर पर अपने कवरेज का विस्तार करते हुए, आईआईएमसी ने 2012-13 के दौरान जम्मू में भी अपना क्षेत्रीय परिसर स्थापित किया। जम्मू और कश्मीर सरकार ने शैक्षणिक सुविधाओं के साथ-साथ छात्रों के छात्रावास और विजिटिंग फैकल्टी के लिए गेस्ट हाउस के लिए आईआईएमसी को किराया-मुक्त आवास प्रदान किया है। यह कैंपस दिसंबर 2022 में 15 एकड़ में फैले अपने स्थायी कैंपस में शिफ्ट हो गया। कैंपस 2022-23 से अंग्रेजी पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स चलाता है।

प्लेसमेंट / इंटर्नशिप

आईआईएमसी का निरंतर अद्यतन और उद्योग से जुड़ा पाठ्यक्रम अपने पीजी डिप्लोमा छात्रों को पत्रकारिता, विज्ञापन, जनसंपर्क और रचनात्मक लेखन आदि के क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए तैयार करता है।

शैक्षणिक सत्र के अंत में, आईआईएमसी एक प्लेसमेंट/इंटर्नशिप पखवाड़े का आयोजन करता है, जिससे उद्योग और छात्रों के बीच बातचीत की सुविधा मिलती है। हालांकि, संस्थान अपने छात्रों को किसी भी प्लेसमेंट की गारंटी नहीं देता है।

परंपरागत रूप से, **आईआईएमसी का प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, जिसमें कई प्रसिद्ध कंपनियां हमारे छात्रों को आकर्षक वेतन पैकेज के साथ भर्ती करती हैं। निम्नलिखित उन प्रमुख कंपनियों की सांकेतिक सूची है जिन्होंने हाल के वर्षों में आईआईएमसी प्लेसमेंट** कार्यक्रमों में भाग लिया है।

1.	प्रसार भारती	36.	दैनिक जागरण
2.	हिंदुस्तान टाइम्स	37.	कृषि जागरण
3.	एडेलमैन	38.	इकोनॉमिक टाइम्स एनर्जी वर्ल्ड
4.	ज़ी मीडिया	39.	इकोनॉमिक टाइम्स एचआर वर्ल्ड
5.	बिजनेस स्टैंडर्ड	40.	द टाइम्स ग्रुप
6.	इनशॉर्ट्स	41.	ABP न्यूज़
7.	रूडर फिन	42.	न्यूज 18
8.	नेटवर्क 18	43.	जागरण न्यू मीडिया
9.	इंडिया टीवी	44.	दिल्ली टाइम्स
10.	एएनआई	45.	बॉम्बे शेविंग कंपनी
11.	निर्वाचन आयोग	46.	कैफ़े म्यूचुअल
12.	ज़ी सलाम	47.	मूला गीक्स
13.	जनसत्ता	48.	ईटीवी भारत
14.	हिल + नोल्टन स्ट्रैटेजीज	49.	द पेबल
15.	फीवर एफएम	50.	मेट्रो रेल समाचार
16.	सलेक्ट हब	51.	फुटप्रिंट ग्लोबल कम्युनिकेशन
17.	इंफॉरमिस्ट	52.	स्पोर्ट्स रश
18.	एक्सेंचर	53.	टॉकिंग पॉइंट कम्युनिकेशन
19.	एयर ब्लैक	54.	रेड कॉमेट फिल्म्स
20.	एमएसएल इंडिया	55.	ज़ेनो
21.	फिट पेज	56.	एनईएम डिजिटल
22.	सेविल्स	57.	माइंड पाइपर
23.	द प्रेक्टिस	58.	इंडिया अहेड न्यूज़
24.	न्यूजे	59.	मैग्नन सैंकस
25.	हाई होप्स कम्युनिकेशन	60.	एंट्स डिजिटल
26.	स्टोरी टेलर्स	61.	माई मोबाइल
27.	फर्स्ट पार्टनर	62.	एक्सिस कम्युनिकेशन
28.	ब्रांड-कम्युनिकेशन पीआर	63.	स्काईवेज़ ग्रुप
29.	बिजनेस वर्ल्ड	64.	टेक महिंद्रा
30.	काइज़्ज़ेन	65.	ईएफई
31.	एनडीटीवी	66.	टॉर्क कम्युनिकेशंस
32.	एक्सचेंज 4 मीडिया	67.	एफसीबी उल्का

33.	ईएसएस सेवा भारत	68.	वैलिडेटमी
34.	पिक्सस्टोरी	69.	ऑग्रुमिंटिव इंडियंस
35.	द न्यू इंडियन	70.	व्हाइट मार्के सॉल्यूशंस
36.	एनएमडीसी	71.	एनटीपीसी

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी: आचरण नियम और दिशानिर्देश

मल्टीपल एंट्री और एग्जिट: स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को NEP-2020 के अनुसार डिजाइन किया गया है। एमए-प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्र कार्यक्रम का पहला वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद बाहर निकल सकते हैं। उन्हें उक्त कार्यक्रम में पीजी डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। आईआईएमसी ने समकक्षता समिति की सिफारिश पर कार्यक्रम के तीसरे सेमेस्टर/दूसरे वर्ष में लेटरल एंट्री/मल्टीपल एंट्री का प्रावधान भी रखा है।

अकादमिक क्रेडिट बैंक: यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार आईआईएमसी अपने सभी विद्यार्थियों के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में खुद को पंजीकृत करेगा। विद्यार्थियों द्वारा अर्जित क्रेडिट बैंक में जमा किए जाएंगे।

उपस्थिति: सेमेस्टर परीक्षाओं में बैठने के लिए छात्र की न्यूनतम 75% उपस्थिति आवश्यक है। आवश्यक उपस्थिति से कम रहने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आईआईएमसी के महानिदेशक, यदि संतुष्ट हैं कि उपस्थिति में कमी छात्र के नियंत्रण से परे कारणों से हुई है, तो वे 5% की सीमा तक की कमी को माफ कर सकते हैं। सेमेस्टर परीक्षा शुरू होने से एक सप्ताह पहले तक की उपस्थिति को उपस्थिति के आधार पर परीक्षा में बैठने की पात्रता निर्धारित करने के लिए माना जाएगा।

चिकित्सा आधार पर अनुपस्थिति: यदि कोई छात्र चिकित्सा आधार पर एक सप्ताह तक कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उसे सरकारी डॉक्टर से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 15 दिनों से अधिक समय तक कक्षाओं से अनुपस्थित रहने पर, किसी सरकारी अस्पताल में मेडिकल बोर्ड या संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। एक महीने से अधिक समय तक कक्षाओं से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, जब छात्र फिर से कक्षाएं शुरू करता है, तो उसे सरकारी अस्पताल में मेडिकल बोर्ड या संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

योग्यता अंक: डिग्री/ डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पात्र होने के लिए , प्रत्येक छात्र को निरंतर परीक्षाओं में शामिल होना होगा, मूल्यांकन के लिए समय पर अपना असाइनमेंट जमा करना होगा, सेमिनार/प्रस्तुतिकरण में भाग लेना होगा, संस्थान द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों में शामिल होना होगा और प्रत्येक विषय में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने होंगे (सिद्धांत और व्यावहारिक में अलग-अलग)।

अंतिम परीक्षा: निर्धारित समय-सीमा के भीतर फीस और अन्य बकाया राशि का भुगतान न करने वाले छात्रों को प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। अंतिम परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होने के लिए छात्रों को 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट' भी प्रस्तुत करना होगा।

पूरक परीक्षाएँ: एक छात्र अधिकतम दो पेपरों के लिए पूरक परीक्षा में शामिल हो सकता है। पूरक परीक्षा में बैठने के लिए छात्र की न्यूनतम 50% उपस्थिति (परीक्षा शुरू होने से एक सप्ताह पहले तक) आवश्यक है। 50% से कम उपस्थिति वाले छात्रों को पूरक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनका नाम पाठ्यक्रम से हटा दिया जाएगा।

यदि कोई छात्र किसी परीक्षा में एक या अधिक पेपर नहीं देता है या एक या अधिक पेपर में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त करने में विफल रहता है या कम उपस्थिति के कारण उसे रोक दिया जाता है, तो शैक्षणिक सत्र पूरा होने के बाद मामले की योग्यता के आधार पर पूरक

परीक्षा के लिए अनुरोध पर विचार किया जाएगा। प्रति पेपर 500 रुपये का पूरक परीक्षा शुल्क लगाया जाएगा और उत्तीर्ण होने पर डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। पूरक परीक्षा छात्र द्वारा ऊपर बताए गए समग्र उपस्थिति मानदंडों को पूरा करने के अधीन होगी।

कार्यक्रम पूरा होने के **तीन साल के भीतर** पूरक परीक्षा में बैठने का केवल एक मौका दिया जाएगा, जो अगले शैक्षणिक सत्र के साथ आयोजित की जाएगी। यदि छात्र अपने कार्यक्रम के पूरा होने के बाद तीन वर्षों के दौरान पूरक परीक्षा में शामिल नहीं होता है , तो उसके अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

पूरक परीक्षाओं के परिणाम वाली मार्कशीट को "पूरक" के रूप में चिह्नित किया जाएगा। कोई अलग संचयी मार्कशीट जारी नहीं की जाएगी।

सेमेस्टर परीक्षा के पेपर की पुनः जाँच : किसी भी उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। हालाँकि, कुल योग की पुनः जाँच और/या जाँच कि क्या कोई उत्तर मूल्यांकन से छूट गया था, इस आशय का लिखित अनुरोध और प्रति पेपर 250 रुपये का शुल्क अदा करने पर किया जाएगा। परिणामों की घोषणा के 15 दिन बाद तक पुनः जाँच का अनुरोध किया जा सकता है।

सुधार: छात्र एक या अधिक पेपर में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सुधार का विकल्प भी चुन सकते हैं। पहले और दूसरे सेमेस्टर की सुधार परीक्षा क्रमशः अगले सत्र की पहली और दूसरी सेमेस्टर परीक्षा के साथ आयोजित की जाएगी। ऐसे छात्रों की मार्कशीट में सुधार परीक्षा में प्राप्त अंक दर्शाए जाएंगे। प्रति पेपर 750 रुपये का सुधार परीक्षा शुल्क लगाया जाएगा।

पहचान पत्र: नामांकन के तुरंत बाद छात्रों को पहचान पत्र जारी कर दिए जाते हैं। खो जाने या कटे-फटे होने पर 100 रुपये का भुगतान करके डुप्लीकेट पहचान पत्र जारी किया जा सकता है।

आचार संहिता: IIMC के पास "IIMC छात्रों के लिए आचार संहिता" है, जिसे IIMC की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है और **अनुलग्नक A के रूप में प्रॉस्पेक्टस में भी शामिल किया गया है** । छात्रों को आचार संहिता को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है, जिसमें सोशल मीडिया के उपयोग पर नीति, छात्रों से संस्थान की अपेक्षाएँ, अनुशासनात्मक कार्यवाही के आधार और अनुशासनात्मक प्रक्रिया शामिल है। प्रवेश के समय छात्र को आचार संहिता का पालन करने के लिए हस्ताक्षरित वचन देना होगा। यदि किसी छात्र का आचरण असंतोषजनक पाया जाता है, तो संस्थान कार्यक्रम से उसे निष्कासित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

छात्रों की शिकायतें: आईआईएमसी में यौन उत्पीड़न के मामलों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचारों के मामले में शून्य सहनशीलता की नीति है। किसी भी उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति और एक एससी/एसटी सेल मौजूद है।

एंटी रैगिंग कमेटी: आईआईएमसी रैगिंग पर यूजीसी के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करता है। आईआईएमसी में एक एंटी रैगिंग कमेटी है जो रैगिंग से संबंधित सभी मुद्दों को देखती है।

अनुशासन: छात्रों को उन नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है, जिन्हें संस्थान समय-समय पर मूल्यांकन प्रणाली, शैक्षिक प्रदर्शन के न्यूनतम मानकों, अनुशासन, उपस्थिति आदि के संबंध में बनाता है, जो अध्ययन कार्यक्रम के संतोषजनक समापन के लिए आवश्यक हैं।

अन्य कार्यक्रम करना : IIMC के पीजी डिप्लोमा कार्यक्रम पूर्णकालिक कार्यक्रम हैं और छात्रों को कोई अन्य पूर्णकालिक या अंशकालिक नौकरी या अध्ययन करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, उन्हें इस अवधि के दौरान कोई पूर्णकालिक या अंशकालिक रोजगार करने की अनुमति नहीं है। यदि ऐसा कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो संस्थान कार्यक्रम से निष्कासन सहित उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

आईआईएमसी प्रबंधन और संकाय

डॉ. अनुपमा भटनागर, आईआईएस	महानिदेशक
डॉ. निमिष रुस्तगी, आईआईएस	**अपर महानिदेशक** (प्रशासन) प्रशासन प्रमुख एवं **भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी** - 2001 बैच
प्रो. (डॉ.) गोविंद सिंह	**डीन (शैक्षणिक मामले)**
प्रो. (डॉ.) प्रमोद कुमार	**डीन** (छात्र कल्याण) **प्रोफेसर और कोर्स डायरेक्टर** - स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और उर्दू पत्रकारिता, प्रमुख-आउटरीच गतिविधियाँ
प्रो. (डॉ.) राकेश कुमार गोस्वामी	**परीक्षा नियंत्रक, प्रभारी-प्रवेश** **प्रभारी-प्लेसमेंट सेल** **पाठ्यक्रम निदेशक** – विकास पत्रकारिता
प्रोफेसर (डॉ.) आनंद प्रधान	**प्रोफेसर एवं पाठ्यक्रम निदेशक** हिंदी पत्रकारिता
प्रोफ़ेसर (डॉ.) सुरभि दहिया	**प्रोफेसर एवं पाठ्यक्रम निदेशक** मीडिया बिजनेस स्टडीज, अंग्रेजी पत्रकारिता
प्रो. (डॉ.) अनुभूति यादव	**प्रोफेसर एवं पाठ्यक्रम निदेशक** विज्ञापन और जनसंपर्क, डिजिटल मीडिया
प्रो. (डॉ.) संगीता प्रणवेन्द्र	**प्रोफेसर एवं पाठ्यक्रम निदेशक** रेडियो और टीवी पत्रकारिता और **प्रमुख,** सामुदायिक रेडियो और आईटी
प्रो. (डॉ.) वीरेंद्र कुमार भारती	**प्रोफेसर** **प्रमुख** , आईआईएमसी प्रकाशन विभाग
प्रो. (डॉ.) शाश्वती गोस्वामी	**प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष** , संचार अनुसंधान विभाग
प्रो. (डॉ.) सुनेत्रा सेन नारायण	**प्रोफेसर, आईआईएमसी**
डॉ. रिंकू पेगु	**सह - प्राध्यापक** प्रशिक्षण विभाग, भारतीय सूचना सेवा
डॉ रचना शर्मा	**सह - प्राध्यापक** **सोशल मीडिया प्रभारी**
डॉ मीता उज्जैन	सह - प्राध्यापक

डॉ राकेश उपाध्याय	**सह - प्राध्यापक**
डॉ पवन कौंडल	**सह - प्राध्यापक**
प्रो. (डॉ.) मृणाल चटर्जी	**प्रोफ़ेसर** **क्षेत्रीय निदेशक एवं शैक्षणिक प्रमुख** आईआईएमसी ढेंकनाल परिसर
डॉ राजेश सिंह कुशवाह	**सह - प्राध्यापक** **क्षेत्रीय निदेशक एवं शैक्षणिक प्रमुख** **आईआईएमसी अमरावती**
प्रो. (डॉ.) अनिल सौमित्र	**प्रोफ़ेसर** क्षेत्रीय निदेशक एवं शैक्षणिक प्रमुख आईआईएमसी जम्मू परिसर
प्रो. (डॉ.) नोंग्मैथेम सुशील कुमार सिंह	**प्रोफ़ेसर** **क्षेत्रीय निदेशक एवं शैक्षणिक प्रमुख** आईआईएमसी आइजोल परिसर
प्रो. (डॉ.) एस. अनिल कुमार	**प्रोफ़ेसर** **क्षेत्रीय निदेशक एवं शैक्षणिक प्रमुख** आईआईएमसी कोट्टायम परिसर
डॉ दिलीप कुमार	**सह - प्राध्यापक** अंग्रेजी पत्रकारिता प्रभारी, **आईआईएमसी जम्मू**
डॉ. विनीत कुमार झा उत्पल	**सहायक प्राध्यापक** डिजिटल मीडिया प्रभारी, **आईआईएमसी जम्मू**
डॉ. जिशा के	सहायक प्रोफेसर, **आईआईएमसी कोट्टायम**

19. संपर्क जानकारी

किसी भी संदेह की स्थिति में / **अथवा स्पष्टीकरण**, यदि कोई होतो, **के लिए छात्र सप्ताह के कार्यदिवसों में सुबह** 11 बजे से शाम 4 बजे **के बीच निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं**:

- प्रो. (डॉ.) राकेश गोस्वामी, **प्रवेश प्रभारी** (7014551410)
- श्री सुभाष कुमार प्रजापति, **शैक्षणिक समन्वयक** (7838055429)

आईआईएमसी नई दिल्ली

भारतीय जनसंचार संस्थान
अरुणा आसफ अली रोड, नई दिल्ली - 110067
दूरभाष: +91-11-26741352
फैक्स: +91-11-26742462
ईमेल: academiciimc1965@gmail.com

आईआईएमसी ढेंकनाल	**भारतीय जन संचार संस्थान** पीबी नं 21, संचार मार्ग, **ढेंकनाल**, ओडिशा- 759001 टेलीफ़ोन: +91-6762-226194, 226196 फैक्स: +91-6762-226195 मोबाइल: 9337709000 **ईमेल: iimcdkl@yahoo.co.in**	
आईआईएमसी कोट्टायम	**भारतीय** जन संचार संस्थान **दक्षिणी** क्षेत्रीय परिसर 8 वां मील, वेल्लूर , केके रोड, पंपडी, **कोट्टायम**, केरल– 686501 +91-481-2502520 मोबाइल: +91 9496989923, +91 8547482443 **ईमेल: iimckottayam2012@gmail.com**	
आईआईएमसी आइजोल	**भारतीय जन संचार संस्थान** **मिजोरम विश्वविद्यालय परिसर,** **तनह्रिल** , आइजोल, मिजोरम - 796004 टेलीफ़ोन: +91-389-2300871, 2322813 **ईमेल: iimcnercampus@gmail.com**	
आईआईएमसी अमरावती	**भारतीय जन संचार संस्थान** डॉ. **श्रीकांत जिचकर मेमोरियल सेंटर** **संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय**, अमरावती, महाराष्ट्र - 444602 टेलीफ़ोन: 0721-2668180 **ईमेल: iimcamt.entrance@gmail.com**	
आईआईएमसी जम्मू	**भारतीय** जन संचार संस्थान **उत्तरी** क्षेत्रीय केंद्र **गांव पट्टियां** **बीएसएनएल** एक्सचेंज रोड, बनतालाब, जम्मू - 181123 फ़ोन नंबर: 9419750600 ईमेल: jammuiimc@gmail.com	

परिसर आचार संहिता

परिचय:

संस्थान ने प्रभावी शिक्षण-अधिगम वातावरण बनाकर छात्रों के समग्र विकास में सुधार के लिए आचार संहिता तैयार की है। यह पेशेवर व्यवहार और शैक्षणिक अखंडता को बढ़ावा देता है। संस्थान की प्रतिष्ठा छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ-साथ उनके व्यवहार पर भी निर्भर करती है । हमारा आदर्श वाक्य है "आत्म अनुशासन ही सर्वश्रेष्ठ अनुशासन है" इस आचार संहिता का उद्देश्य छात्रों को संस्थान के नियमों और विनियमों से परिचित कराना और संस्थान के मिशन और विज़न की प्राप्ति की दिशा में प्रगति करना है।

सभी छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे संस्थान के सुचारू संचालन के लिए नियमों और विनियमों का पालन करें और संस्थान परिसर में सद्भाव, शांति और शैक्षिक वातावरण बनाए रखें। इसलिए, सभी छात्रों को निम्नलिखित आचार संहिता से परिचित कराया जा रहा है जिसका संस्थान के प्रत्येक छात्र को पालन करना होगा।

1. कक्षाएं, आईआईएमसी मुख्यालय, नयी दिल्ली द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक अवकाश/छुट्टियों को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शुरू होती हैं।

2. छात्रों को अनुशासन के उच्च स्तर को बनाए रखना आवश्यकत है।

3. कोई भी छात्र जो अनुशासनहीनता का दोषी पाया गया है, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली किसी भी अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई के अलावा, कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी अपना दावा स्वतः खो देगा।

4. छात्रों को कक्षाओं में नियमित रहना आवश्यक है। समय पर कक्षा में शामिल नहीं होने वाले छात्रों को अनुपस्थित माना जाएगा और उनकी अनुपस्थिति अनुमति सीमा से यानी 75% से कम रहने पर आईआईएमसी मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित कार्रवाई की जाएगी और इसके अलावा छात्र को परीक्षा में शामिल होने से भी रोक दिया जाएगा।

5. माता-पिता/अभिभावकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बच्चों की उपस्थिति के बारे में समय-समय पर पूछताछ करते रहें। सीमा से अधिक अनुपस्थिति के बारे में माता-पिता/छात्रों को सूचित करना संस्थान का दायित्व नहीं है।

6. कोई भी छात्र विभागाध्यक्ष /पाठ्यक्रम निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना संस्थान के समय से पहले परिसर नहीं छोड़ेगा।

7. संगोष्ठियों, विशेष व्याख्यानों और संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में छात्रों उपस्थिति अनिवार्य है। कोई भी छात्र जो इसका उल्लंघन करता है, उसे संस्थागत गतिविधियों और प्लेसमेंट से वंचित कर दिया जाएगा।

8. प्रत्येक छात्र को क्लास असाइनमेंट, प्रोजेक्ट आदि जमा करने की समय-सारणी का पालन करना चाहिए।

9. संस्थान एक छात्र द्वारा उसके संस्थान छोड़ने के प्रमाण पत्र में क्रेडिट प्रविष्टि के लिए किए गए योगदान का विवरण बनाए रखेगा। इसी प्रकार किसी कदाचार/अनुशासनहीनता के लिए छात्र उसी प्रमाण पत्र में नकारात्मक अंकों का पात्र होगा।

10. छात्रों को परिसर में हर समय पहचान पत्र साथ रखना आवश्यक है।

11. कक्षा में केवल अत्यावश्यक/महत्वपूर्ण सूचना पढ़ी जाएगी। छात्रों को प्रतिदिन नोटिस बोर्ड देखना चाहिए और समय-समय पर वहां लगाए जाने वाले विभिन्न नोटिसों के बारे में खुद को अद्यतन रखना चाहिए।

12. संस्थान में विशेष रूप से कक्षाओं में फोन कॉल/खाने/धूम्रपान की अनुमति नहीं है।

13. रैगिंग एक अपराध है। परिसर/परिसर में रैगिंग सख्त वर्जित है। ऐसी गतिविधियों में शामिल किसी भी छात्र/छात्रों को तुरंत संस्थान से निष्कासित कर दिया जाएगा।

14. छात्र यूजीसी अधिसूचना 2016 (उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण) विनियम 2015 के तहत निर्धारित आचार संहिता का पालन करेंगे। यौन उत्पीड़न के किसी भी मामले को यूजीसी के नियमों के अनुसार निपटाया जाएगा।

15. प्रत्येक छात्र कॉलेज परिसर/कैंपस/क्लास रूम और डेस्क-कुर्सियों को साफ सुथरा रखने में मदद करें, प्रत्येक व्यक्ति को कूड़ा डालने के लिए कूड़ेदान का उपयोग करना चाहिए।

16. कैंपस परिसर और क्लासरूम सीसीटीवी की निगरानी में हैं। सभी को संस्थान परिसर/कक्षा परिसर में अनुशासनात्मक शिष्टाचार का पालन करना चाहिए।

17. व्याख्यानों के संचालन के दौरान, छात्रों को संस्थान परिसर में और उसके आसपास घूमना नहीं चाहिए। अवज्ञा, दुराचार, दुर्व्यवहार, आवारागर्दी या अनुशासनहीनता के किसी भी कार्य के लिए छात्र अपना टर्म (???) खोने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

18. कक्षाओं, पुस्तकालय, क्षेत्र आदि में मोबाइल फोन का प्रयोग पूर्णत: वर्जित है।

19. संस्थान परिसर/परिसर के साथ-साथ कक्षाओं में छात्रों के साथ किसी भी दोस्त/अतिथि/आगंतुक/किसी बाहरी व्यक्ति को रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

20. छात्रों को संस्थान के पुस्तकालय का उपयोग करना चाहिए और जब भी उनके पास खाली समय हो तो उन्हें कॉलेज परिसर में आवारागर्दी नहीं करनी चाहिए।

21. कोई भी छात्र जो किसी भी प्रकार से संस्थान की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, उसे निष्कासित किया जा सकता है। कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए दोषी छात्र स्वयं उत्तरदायी होंगे।

22. किसी छात्र या छात्रों के समूह द्वारा प्रोफेसरों/प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या संस्थान परिसर/कक्षा में गड़बड़ी पैदा करने के लिए, उनके खिलाफ हर प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

23. कक्षाओं में फर्नीचर को स्थानांतरित या विस्थापित नहीं करना चाहिए।

24. छात्रों को संस्थान की सभी संपत्ति की उचित देखभाल करनी चाहिए। दीवारों, दरवाजों, खिड़कियों, फिटिंग, फर्नीचर और ऐसी अन्य चीजों को विकृत करके संस्थान की संपत्ति को किया गया कोई भी नुकसान संस्थान के अनुशासन का उल्लंघन है और इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा।

25. दीवारों/खंभों/स्नानघरों/फर्नीचर/सफेद बोर्डों पर लिखना सख्त वर्जित है।

26. सेमेस्टर/फाइनल परीक्षाओं में किसी भी प्रकार का कदाचार सख्त वर्जित है।

27. विभागाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संस्थान परिसर/कक्षा में कोई समारोह/कार्यक्रम/जन्मदिन आयोजित नहीं किया जा सकता है।

28. संस्थान में किसी भी प्रकार की समस्या या मेडिकल इमरजेंसी की आवश्यकता होने पर छात्र को विभागध्यक्ष /संबंधित प्राधिकारी को रिपोर्ट करना चाहिए, जो उनकी समस्या का निदान करने में मदद करेगा।

29. छात्रों को संस्थान के अंदर या बाहर ऐसा कुछ भी करने से प्रतिबंधित किया जाता है जो इसके व्यवस्थित प्रशासन में बाधा डालता हो या इसकी सार्वजनिक छवि को प्रभावित करता हो। किसी भी बाहरी प्रभाव, राजनीतिक या कोई अन्य, को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संस्थान परिसर में नहीं लाया जाना चाहिए।

30. चिकित्सा कारणों से संस्थान से अनुपस्थिति के बाद सरकारी अस्पताल (यदि अनुपस्थिति एक सप्ताह से अधिक है) और सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से (यदि अनुपस्थिति 15 दिनों से अधिक है) मेडिकल प्रमाण पत्र और ज्वाइनिंग के समय तुरंत सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र (यदि अनुपस्थिति 15 दिनों से अधिक है) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

31. छात्रों के लिएजरूरत पड़ने पर संस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों को सही और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करना आवश्यकहै। प्रवेश के समय दिए गए विवरणों में कोई परिवर्तन होने पर सूचित किया जाना चाहिए।

26. छात्रों को कक्षाओं में अनाधिकृत रिकॉर्डिंग (ऑडियो/वीडियो) करने की अनुमति नहीं है।

27. **छात्रों को** निम्नलि**खि**त से **परहेज करना चाहिए**

क) धूम्रपान, मद्यपान, जुआ और किसी भी रूप में नशीली दवाओं का सेवन; संस्थान एक धूम्रपान मुक्त क्षेत्र है।

ख) संस्थान के भवन, फर्नीचर, जुड़नार, बगीचे या किसी अन्य संपत्ति को नुकसान पहुंचाना।

ग) संस्थान के आधिकारिक रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़।

घ) व्यक्तिगत रूप से या समूह में कक्षाएं बंक करना।

ङ) अन्य कक्षाओं में शिक्षण के दौरान गलियारों में शोर मचाना।

च) छात्रों और कर्मचारियों की स्थिति, गरिमा, सम्मान और सम्मान को कम करना।

छ) मौखिक या डिजिटल दुर्व्यवहार, आक्रामकता, अभद्र इशारों और अश्लील व्यवहार या किसी भी प्रकार की हिंसा में लिप्त होना।

ज) हथियार और गोला-बारूद ले जाना।

ञ) कोई भी आचरण जो कॉलेज बिरादरी की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए खतरा है।

त) संस्थान परिसर के अंदर और बाहर अनुशासनहीनता, अनैतिकता, गैरकानूनी आचरण, उत्पीड़न, से संबंधित कोई भी कार्य या बुरा व्यवहार।

थ) कोई भी गतिविधि जो संस्थान की प्रतिष्ठा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

पुस्तकालय आचार संहिता

पुस्तकालय का समय: सोमवार से शुक्रवार सुबह 9.30 बजे से शाम 6.30 बजे तक

रीडिंग रूम: सोमवार से शुक्रवार सुबह 9.00 बजे से रात 8.00 बजे तक

पुस्तकें जारी करना: सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक

पुस्तकालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सभी सार्वजनिक अवकाशों पर बंद रहेगा। सभी उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय बंद होने के समय से दस मिनट पहले छोड़ने और बंद होने के समय तक भवन से बाहर जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए।

पुस्तक लेने संबंधी सामान्य नियम : पुस्तक लेने का विशेषाधिकार और इसकी शर्तें

1. पुस्तकें उधार लेते समय सदस्यों को अपना वैध पुस्तकालय सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करना चाहिए। सदस्यों को यह पुष्टि करनी चाहिए कि पुस्तकालय छोड़ने से पहले उनके पास मौजूद सभी पुस्तकालय सामग्री की ठीक से जांच की गई है।

2. सदस्यों को उनके कार्ड में चार्ज की गई सभी सामग्रियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।

3. पुस्तकालय/अध्ययन कक्ष में दुर्व्यवहार करने पर प्रवेश/सदस्यता रद्द कर दी जाएगी और संबंधित छात्र/छात्रों के विरुद्ध गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

4. सभी छात्रों को पुस्तकालय में प्रवेश करने से पहले प्रवेश रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना चाहिए।

5. छात्रों को किताब/किताबों को बहुत सावधानी से रखना चाहिए।

6. सभी छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि पुस्तकालय कार्ड हस्तांतरणीय नहीं हैं।

7. छात्रों को पुस्तकालय में कोई भी खाद्य पदार्थ ले जाने की अनुमति नहीं है।

8. लौटाए जाने पर पुस्तकालय सामग्री में पाए गए किसी भी विकृति (विरूपण सहित) के लिए सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्हें पुस्तक जारी करने के समय पाई गई किसी भी विकृति की जांच करनी चाहिए और रिपोर्ट करनी चाहिए।

9. सदस्यों को पुस्तकालय सामग्री के नुकसान की सूचना तुरंत पुस्तकालय के परिचालन अनुभाग को देनी चाहिए और उन्हें पुस्तकालय के नियमों के अनुसार नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। (टेबल ए)

10. अंतिम ओवरड्यू नोटिस के जवाब में वापस न आने वाली किसी भी पुस्तक को खोया हुआ माना जाएगा और सदस्य को खोई हुई पुस्तक के लिए हर्जाने का भुगतान करने के लिए कहा जाएगा।

11. जुर्माने की दरों के अनुसार,जुर्माने की गणना देय तिथि से की जाएगी और राशि का भुगतान पुस्तकालय में किया जाएगा।

12. सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें जारी की गई पुस्तकें नियत तारीख को या उससे पहले वापस कर दी जाएं या उनका नवीनीकरण कर दिया जाए। पुस्तकालय द्वारा भेजे गए नोटिस केवल एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं और नोटिस की गैर-प्राप्ति किसी भी सदस्य को इन नियमों में बताए गए जुर्माना या अन्य दंडों का भुगतान करने से छूट नहीं देती है।

13. अपने नाम पर पुस्तकें लेने वालेप्रत्येक सदस्य को उसकी पात्रता के अनुसार पुस्तकालय टिकट जारी किए जाएंगे।

14. यदि सदस्य ***(छात्र)*** देय तिथि पर, या उसके भीतर पुस्तक संबंधी दस्तावेजों को वापस करने में विफल रहते हैं, तो वे मौके पर ही प्रति दिन 2.00 रुपये की दर से अतिदेय शुल्क (ओवरड्यू चार्ज) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि ओवरड्यू सामग्री वापस नहीं की जाती है तो छात्र सदस्यों को दिए गए विशेषाधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे। यदि पुस्तकों की वापसी की नियत तिथि से दो माह का विलम्ब होता है तो छात्र-सदस्य की सदस्यता अमान्य हो जायेगी तथा सदस्यता का नवीनीकरण रू. 200 का भुगतान करने पर ही किया जाएगा।

15. पुस्तक लेने वाला सदस्य यदि लगातार पांच अवसरों पर देय तिथि पर पुस्तक दस्तावेजों को वापस करने में बार-बार विफल रहता है, वह पुस्तकालय की सदस्यता का विशेषाधिकार खो सकता है। उन्हें किताबें ले जाने की भी अनुमति नहीं होगी।

16. सदस्यों द्वारा लिए गए दस्तावेजों को पुस्तकालय द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है।

17. यदि पाठ्यक्रम की समाप्ति के एक वर्ष के भीतर 5,000 रुपये की वापसी योग्य पुस्तकालय जमा राशि का दावा नहीं किया जाता है, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।

संबंधित इकाई के प्रमुख (कर्मचारियों के मामले में) द्वारा विधिवत अग्रेषित निर्धारित प्रपत्र में भरे हुए आवेदन को पासपोर्ट आकार के दो ताजा छायाचित्रों के साथ पुस्तकालय में जमा किया जाएगा। सदस्यता इस स्पष्ट समझ पर प्रदान की जाती है कि सदस्य कानूनी तौर पर खुद को जारी किए गए सभी दस्तावेजों को वापस करने के लिए बाध्य हैं और सेवानिवृत्ति, इस्तीफा देने/समाप्ति के समय 'नो-ड्यूज सर्टिफिकेट' प्राप्त करते हैं। सदस्यों को जारी किए गए बॉरो कार्ड को पुस्तकालय में रखा जाएगा। सदस्य को प्रत्येक लेन-देन पर प्रविष्टि भरनी होती है।

संसाधनों के प्रकार और उपयोग की शर्तें

1. **संदर्भ पुस्तकें** : केवल पुस्तकालय के भीतर परामर्श के लिए।
2. सामान्य खंड, क्षेत्र अध्ययन में उपलब्ध **सामान्य पुस्तकें अपने नाम पर ली जा सकती हैं।**
3. **धारावाहिक (पत्रिकाएँ/पत्रिकाएँ/समाचार पत्र**): केवल पुस्तकालय के भीतर परामर्श के लिए।
4. **आधिकारिक प्रकाशन** : केवल पुस्तकालय के भीतर परामर्श के लिए।
5. **दुर्लभ पुस्तकें** : सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से परामर्श।
6. **गैर-मुद्रित दस्तावेज़** : केवल पुस्तकालय के भीतर परामर्श के लिए।

<u>दस्तावेज़ संबंधी मामले:</u>

दस्तावेज़ उधार लेने के संबंध में सदस्यों के विशेषाधिकार नीचे दिए गए हैं:

उधारकर्ता	अधिकतम प्रदत्त दस्तावेजों की संख्या	ऋण अवधि	अतिदेय शुल्क

अकादमिक स्टाफ	बारह (12)	अधिकतम **90** दिन	अनुस्मारक
गैर-शैक्षणिक कर्मचारी	दो (2)	अधिकतम **30** दिन	अनुस्मारक
छात्र	दो (2)	अधिकतम **7** दिन	2 रुपये प्रतिदिन

खोई या क्षतिग्रस्त पुस्तकें:

पुस्तक लेने वाले के लिए या तो बाजार में उपलब्ध उसके नवीनतम संस्करण द्वारा सामग्री को प्रतिस्थापित करना या तालिका "ए" के अनुसार भुगतान करके खोई हुई या क्षतिग्रस्त वस्तुओं की भरपाई करना बाध्यकारी है। जुर्माने की गणना, जुर्माने की दरों के अनुसार, देय तिथि से सामग्री के खो जाने की सूचना देने की तिथि तक की जाएगी।

पूर्व कर्मचारियों/विशेष सदस्यों के मामले में, उन्हें खोई हुई पुस्तक के लिए देय राशि लिखित रूप में सूचित की जाएगी और यदि उसका भुगतान नहीं किया जाता है तो यह उपयोगकर्ता द्वारा जमा की गई सुरक्षा जमा राशि से वसूल की जाएगी। साथ ही सदस्यता भी समाप्त कर दी जाएगी।

तालिका ए

क्र. सं.	प्रकाशन का वर्ष	वसूल की जाने वाली लागत+ अधिभार
1	1940 से पहले	वर्तमान प्रकाशक मूल्य + 200% अधिभार।
2	1940-1950	वर्तमान प्रकाशक मूल्य + 175% अधिभार।
3	1950-1960	वर्तमान प्रकाशक मूल्य के अतिरिक्त 150% अधिभार।
4	1960-1970	वर्तमान प्रकाशक मूल्य + 140% अधिभार
5	1970-1980	वर्तमान प्रकाशक मूल्य + 125% अधिभार

अनुलग्नक-सी

शपथ पत्र

(प्रतिलिपि)

मैं,_____सुपुत्र/सुपुत्री_____

निवासी_____ ने ऊपर दी गई 'परिसर आचार संहिता और पुस्तकालय आचार संहिता' को पढ़ और समझ लिया है। मैं, इसके द्वारा, वचन देता/देती हूं कि मैं परिसर आचार संहिता और पुस्तकालय आचार संहिता के प्रत्येक खंड का पालन करूंगा/करूंगी। मैं समझता/समझती हूं कि मेरी ओर से अनुपालन न करने की स्थिति में संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी दिए गए परिसर आचार संहिता के अनुसार मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

प्रतिहस्ताक्षरित

_____ _____

(विद्यार्थी के हस्ताक्षर) (माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर)

नाम: _____ नाम: _____

पाठ्यक्रम: _____ छात्र से संबंध_____

दिनांक: _____ दिनांक:_____

छात्रावास के नियम और विनियम

कक्ष आवंटन

- कोई भी छात्र प्रवेश को अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है। छात्रावास में प्रवेश के सभी अधिकार महानिदेशक के पास सुरक्षित हैं।
- सत्र के प्रारंभ में वार्डन द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार वार्डन द्वारा कमरों का आवंटन किया जाएगा।
- संस्थान में प्रवेश के क्रम में छात्रों को खाली आवास आवंटित किया जाएगा।
- छात्रावास की सीटों का आवंटन पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए होगा। यदि निवासी शैक्षणिक वर्ष के मध्य में छात्रावास छोड़ना चाहता/चाहती है, तो उसे पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए छात्रावास शुल्क का भुगतान करना होगा।
- प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में नए सिरे से प्रवेश मांगा जाएगा। किसी छात्र को बिना कोई कारण बताए प्रवेश से वंचित किया जा सकता है।
- आवश्यकता पड़ने पर छात्रावास के किसी भी निवासी को एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित है।
- पूर्ण भुगतान करने पर भी, एकल व्यक्ति को छात्रावास आवंटित नहीं किया जायेगा।

व्यवहार और अनुशासन

- संस्थान के छात्रावास के सुचारू और शांतिपूर्ण कामकाज के लिए, गंभीर रूप से प्रतिकूल और हानिकारक पाई जाने वाली निवासीछात्र गतिविधियों की निगरानी छात्रावास प्रशासन द्वारा की जाएगी। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- छात्रावास के निवासियों को छात्रावास/संस्थान परिसर में आने या बाहर जाने के लिए बाड़ और चहारदीवारी पर चढ़ने की मनाही है।
- छात्रावास के वार्डन की पूर्व अनुमति के बिना छात्रावास के निवासियों को कमरे बदलने और किसी भी फर्नीचर को एक कमरे से दूसरे कमरे में स्थानांतरित करने और कोई फर्नीचर जोड़ने की अनुमति नहीं है।
- छात्रावास/संस्थान की संपत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति की सूचना तत्काल छात्रावास वार्डन को दी जानी चाहिए।

- छात्रों को अपने कमरे को हमेशा साफ सुथरा रखना होगा। वार्डन समय-समय पर कमरों का निरीक्षण करेंगे।

- छात्रावास में अपने कमरे की दीवारों पर पोस्टर या कुछ भी न लिखें। इसके लिए आपकी सुरक्षा जमा राशि से जुर्माना काटा जाएगा।

- निवासियों को उनकी ओर से लापरवाही के कारण सभी नुकसानों के लिए शुल्क लिया जाएगा।

- धूम्रपान, मादक पेय, ड्रग्स और किसी भी अन्य नशीले पदार्थों का सेवन सख्त वर्जित है। कोई भी निवासी जो इस तरह के आचरण में लिप्त पाया जाता है, उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उसे बिना किसी सूचना के छात्रावास खाली करने के लिए कहा जाएगा।

- छात्रावास के निवासियों को अंतिम परीक्षा समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर या अधिकारियों के निर्देशानुसार छात्रावास के कमरे खाली करने होंगे। अगले सात दिनों तक ठहरने पर प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि इसके बाद भी कमरा खाली नहीं किया जाता है, तो कमरे का कब्जा सौंपने/लेने तक छात्रावास के अधिकारियों द्वारा उस पर ताला लगा दिया जाएगा और 200/- रुपये प्रति दिन का जुर्माना लगाया जाएगा।

- छात्रावास परिसर व कमरों में अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार, जुआ या हथियार रखने के कृत्यों से सख्ती से निपटा जाएगा। इनमें से किसी भी उल्लंघन का दोषी निवासी निष्कासन या संस्थान द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी अन्य दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

- छात्रावास छोड़ने से पहले, प्रत्येक निवासी वार्डन से मंजूरी प्राप्त करेगा और व्यक्तिगत रूप से संबंधित प्राधिकारी को कमरे और छात्रावास की संपत्ति का प्रभार सौंपेगा।

- निवासी छात्र अपने पहचान पत्र पास में रखेंगे और अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर इन्हें प्रस्तुत करेंगे।

- रैगिंग का कोई भी रूप सख्त वर्जित है। किसी भी उल्लंघन के लिए निष्कासन या संस्थान द्वारा उचित समझा जाने वाला कोई अन्य दंड हो सकता है।

भोजनालय

- सभी निवासी छात्रावास के भोजन कक्ष में भोजन करेंगे। उन्हें अपने कमरे में भोजन या मेस के बर्तन ले जाने की अनुमति नहीं है।

- निवासियों को रसोई में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

- छात्रावास के कमरों में खाना बनाना सख्त वर्जित है।

- ठेकेदारों/नौकरों के आचरण के विरुद्ध यदि कोई शिकायत हो तो छात्रावास के निवासियों द्वारा वार्डन को इसकी जानकारी दी जा सकती है। यदि शिकायतकर्ता स्वयं चूककर्ता है तो मेस/कैंटीन आदि के बारे में किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा।

उपस्थिति और अवकाश

- निवासी की ओर से वार्डन की अनुमति से घर जाने के अलावा अन्य सभी दिनों में छात्रावास में उपस्थित रहना अनिवार्य है।

- संबंधित वार्डन द्वारा निर्धारित समय पर प्रत्येक दिन छात्रावास में बालक एवं बालिकाओं की उपस्थिति ली जायेगी। उपस्थिति के समय उपस्थित न होने वाले निवासी को उस दिन के लिए अनुपस्थित चिह्नित किया जा सकता है जिसके लिए उसके पास पूर्व अनुमति या पर्याप्त स्पष्टीकरण होना चाहिए।

- सभी निवासी, सभी परिस्थितियों में, नाइट-आउट स्लिप भरेंगे और जब भी वे घर जाएंगे, छात्रावास से उनकी अनुपस्थिति के बारे में संबंधित वार्डन की अनुमति लेंगे। उन्हें वार्डन को भी रिपोर्ट करना होगा और मूवमेंट रजिस्टर में उनके प्रस्थान/आगमन को रिकॉर्ड करना होगा।

आगंतुक और अतिथि

- छात्रों के कमरों में किसी भी आगंतुक (डे स्कॉलर या परिवार के सदस्य भी) की अनुमति नहीं है। इस उद्देश्य के लिए सभी आगंतुकों सेसुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक नियत समय दौरान, निर्धारित क्षेत्र में ही मिला जा सकता है।

किराया और मेस शुल्क

- मेस शुल्क सहित छात्रावास का किराया प्रत्येक सेमेस्टर की शुरुआत में दो किश्तों में भुगतान किया जाना है। भुगतान में देरी के लिए जुर्माना और छात्रावास से बेदखल किया जा सकता है।

- मेस का भुगतान मेस विक्रेता को अग्रिम रूप से करना होगा।

- माह के दौरान किसी भी समय छात्रावास में प्रवेश पाने वाले निवासियों से माह का पूरा शुल्क लिया जाएगा।

- छात्रावास छोड़ने के एक वर्ष बाद प्रतिभूतियां निरस्त हो जाएंगी।

- समय पर देय राशि का भुगतान न करने या किसी निवासी द्वारा छात्रावास के किसी भी नियम का उल्लंघन करने की स्थिति में, वार्डन बिना किसी जवाबदेही केकमरे को बंद करवा सकता है या कब्जे के लिए खोल सकता है। सामान को स्टोर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यदि कमरे का कब्जा लेने के एक महीने के भीतर देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो निवासी छात्र के पास अपने सामान के लिए कोई दावा नहीं होगा।

रखरखाव

- बिजली या सिविल या रखरखाव से संबंधित शिकायतें, यदि कोई हों, छात्रावास के रिसेप्शन पर रखे एक रजिस्टर में दर्ज की जानी चाहिए। आपकी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

समय सारणी

- **सभी छात्रों को नीचे दी गई समय-सारणी के अनुसार छात्रावास में होना चाहिए:**

i) **प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक रात 11.00 बजे तक**

ii) **प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर से अगले वर्ष 31 मार्च तक रात्रि 10.00 बजे तक**

यदि आपको सुबह 6 बजे से पहले छात्रावास छोड़ना है या रात 11.00/रात 10 बजे के बाद आना है, जैसा भी मामला हो, तो आपको वार्डन की पूर्व अनुमति लेनी होगी। वार्डन की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी छात्र को रात में छात्रावास से बाहर रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सामान्य नियम

- छात्रावासों के समुचित लोकतांत्रिक संचालन के लिए प्रत्येक छात्रावास में होटल से संबंधित विभिन्न मुद्दों से निपटने के लिए छात्रावास समिति का गठन किया जाएगा। समिति प्रत्येक छात्रावास की छवि को बढ़ाने के लिए वार्डन के साथ मिलकर और पूर्ण सहयोग और समन्वय से काम करेगी। यह समिति छात्रावासों में और सुधार लाने तथा उचित अनुशासन एवं मर्यादा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को नए सुझाव भी देगी।

- छात्रों के छात्रावास छोड़ने से पहले छात्रों के माता-पिता / स्थानीय अभिभावकों द्वारा हस्ताक्षरित सहमति अनिवार्य होगी। इस उद्देश्य के लिए फोन और ईमेल पर सहमति मान्य नहीं होगी।

- निजी सामान जैसे नकद/मोबाइल फोन/स्कूटर/मोटरसाइकिल/कार और अन्य कीमती सामान के किसी भी नुकसान/क्षति के लिए छात्रावास जिम्मेदार नहीं होगा। निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वाहनों का चोरी, नुकसान और आग से बीमा करवाएं।

- निवासी निश्चित घंटों के दौरान वार्डन से कार्यालय में मिल सकेंगे। आपात स्थिति में ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्डों को वार्डन के आवास पर भेजा जाए।

- एक छात्रावास में रहने से समुदाय के एक सदस्य के रूप में उच्च स्तर की अखंडता और चेतना का अनुमान लगाया जाता है। यह प्रत्येक निवासी की नैतिक जिम्मेदारी है कि:

    1. देखें कि छात्रावास की संपत्ति को कोई नुकसान न हो।
    2. शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए हर संभव प्रयास करें।
    3. छात्रावास के सभी नियमों का अक्षरशः पालन करें।

- नियमों और विनियमों का कोई भी उल्लंघन सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन होगा और निवासी छात्र के माता-पिता को तदनुसार सूचित किया जाएगा। अपराध की प्रकृति और गंभीरता के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई निम्नलिखित दंडों में से किसी एक या सभी के रूप में हो सकती है:

    1. क्षतिग्रस्त वस्तु(ओं) की मरम्मत या प्रतिस्थापन के लिए भुगतान।
    2. एक निश्चित अवधि के लिए छात्रावास से निलंबन।
    3. छात्रावास से निष्कासन।
    4. आईआईएमसी प्रशासन/वार्डन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आदेश/निर्णय निवासियों के लिए बाध्यकारी होंगे।

· किसी भी प्रकार की रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है। आपसे छात्रावास के अन्य साथियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।

· आईआईएमसी यौन उत्पीड़न के संबंध में जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करता है। इस संबंध में किसी भी तरह के उल्लंघन के लिए कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

· डाइनिंग हॉल, लाउंज, रिसेप्शन और हॉस्टल परिसर में जाते समय आपको ठीक से कपड़े पहनने चाहिए।

· अपने कमरे में कोई कीमती आभूषण न लाएँ और न ही बड़ी रकम रखें। किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए छात्रावास प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।

अनुलग्नक-ई

विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिया गया शपथ पत्र

(बैच 20_____)

मैं,_____आयु_____वर्ष_____
_____का/कीपुत्र/पुत्री, जो अब _____ में रह रहा/रही हूं,
आईआईएमसी में _____ पाठ्यक्रम और .....शाखा में प्रवेश चाहता/चाहती हूं। मैं निम्नलिखित शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूं।

मुझे पता है कि प्रवेश मेरे अनुशासन और आचरण के अधीन है। मैं आईआईएमसी में अपनी शिक्षा के दौरान आईआईएमसी के लागू नियमों और विनियमों का पालन करूंगा/करूंगी। यदि मैं किसी भी समय हड़ताल पर जाता/जाती हूँ या हड़ताल की अवधि के दौरान कक्षाओं से अनुपस्थित रहता/रहती हूँ या संस्थान द्वारा निर्धारित किसी भी नियम और विनियम का उल्लंघन करता/करती हूँ तो मैं संस्थान का छात्र नहीं रहूँगा/रहूँगी।

मुझे पता है कि अगर मुझे किसी भी समय, किसी भी आपत्तिजनक वस्तु या यौनोत्तेजक सामग्री, हथियारों या छड़ों, जंजीरों, तलवारों, चाकुओं, लाठियों आदि या ऐसी अन्य किन्हीं भी चीजों, के साथ हिरासत में पाया जाता है, या नशीली दवाओं, शराब या नशीले पदार्थों के कब्जे या हिरासत में या संस्थान या छात्रावास के परिसर में या परिसर में उपरोक्त में से किसी का सेवन करते हुए पाया गयातो मुझे संस्थान से निष्कासित कर दिया जाएगा।

इस संस्थान के छात्र के तौर पर मैं किसी भी समय संस्थान द्वारा आवश्यक चिकित्सा या पैरा-मेडिकल पेशेवर द्वारा चिकित्सा परीक्षण / जांच / श्वास परीक्षण / दवाओं की जांच / रक्त नमूना संग्रह आदि से गुजरने के लिए सहमत रहूँगा/रहूँगी और चिकित्सा परीक्षण से गुजरूंगा/ गुजरूंगी। मैं उपचार करने वाले डॉक्टर को रक्त/मूत्र के नमूने एकत्र करने और संग्रहीत करने की अनुमति देने और यदि आवश्यक हो तो आईआईएमसी के परिणामों का खुलासा करने की सहमति देता/देती हूं। मैं संस्थान को संस्थान स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने की अनुमति भी देता/देती हूं और मैं वचन देता/देती हूँ कि यदि मैं किसी संचारी रोग से ग्रसित हूँ तो संस्था को हर समय सूचित करता रहूँगा/रहूँगी।

मुझे पूरी तरह से पता है कि किसी भी रूप में रैगिंग निषिद्ध और एक अवैध गतिविधि है और मुझे उच्च शिक्षा संस्थान, 2009 में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए भारतीय दंड संहिता और यूजीसी के नियमों के प्रासंगिक प्रावधान की पूरी जानकारी है। रैगिंग अधिनियम द्वारा परिभाषित रैगिंग में चिढ़ाना, गाली देना, व्यक्ति केंद्रित चुटकुलों का इस्तेमाल आदि सहित शारीरिक या मानसिक नुकसान भी शामिल है। मुझे यह भी पता है कि अगर मैं रैगिंग, छेड़खानी और हिंसा के अन्य कार्यों में शामिल होता/होती हूं या ऐसी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के साथ उकसाता/उकसाती हूं तो संस्थान के अधिकारियों के विवेक पर मुझे संस्थान और छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है। और मुझे 10,000/- (रुपये दस हजार) जुर्माने या दो साल कारावास की सजा हो सकती है।

मुझे पूरी तरह से पता है कि, संस्थान लड़कों और लड़कियों के बीच स्वस्थ बातचीत को प्रोत्साहित करता है, लेकिन यह ईव टीजिंग/यौन उत्पीड़न, किसी भी अभद्र व्यवहार या किसी भी शारीरिक संपर्क या छात्रों के बीच प्रेमाचार के सार्वजनिक प्रदर्शन (पीडीए) और इस तरह के अन्य आचरणों को प्रतिबंधित करता है। कार्यस्थल में महिलाओं का उत्पीड़न (रोकथाम,

निषेध और निवारण) अधिनियम और प्रासंगिक यूजीसी विनियम का पालन करते हुए ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों को संस्थान से सरसरी तौर पर निष्कासित कर दिया जाएगा और वे आपराधिक कार्रवाई के पात्र भी हो सकते हैं।

मुझे पूरी तरह से पता है कि परीक्षा हॉल के अंदर सेल फोन / कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखना सख्त वर्जित है और अगर इसका उल्लंघन किया जाता है, तो इसे संस्थान के परीक्षा नियमों के अनुसार जब्त और दंडित किया जा सकता है। मुझे यह भी पता है कि किसी भी रूप में प्रतिरूपण करने पर संस्थान से निष्कासित कर दिया जाएगा।

मुझे पूरी तरह से पता है कि अगर मैं किसी भी अशोभनीय कार्य में शामिल होता हूं, जो किसी भी तरह से आईआईएमसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, तो मुझे संस्थान और छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाएगा। अगर मुझे किसी व्यक्ति द्वारा किए गए इस तरह के उल्लंघन के बारे में पता है तो मैं अधिकारियों के समक्ष इसका खुलासा और सहायता करूंगा/करूंगी।

अगर मुझे किसी भी कारण से संस्थान से निष्कासित कर दिया जाता है, तो मुझे पता है कि मुझे तत्काल छात्रावास से भी निकाल दिया जाएगा। मुझे पता है कि संस्थान में मेरा फिर से प्रवेश पूरी तरह से संस्थान के अधिकारियों के विवेक पर होगा और अगर मुझे संस्थान में फिर से शामिल होने की अनुमति दी जाती है, तो मैं संस्थान द्वारा निर्धारित पठन प्रवेश शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होऊंगा/होऊंगी।

मैंने " छात्रों के लिए परिसर आचार संहिता और संस्थान के छात्रों के लिए आईआईएमसी पुस्तकालय की आचार संहिता" को पढ़ लिया है और कोडों को समझ लिया है। मैं सभी आचार संहिता का पालन करूंगा/करूंगी। । मैंने इन सभी आचार संहिता के लिए वचनबद्धता पर हस्ताक्षर किए हैं।

माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर	**आवेदक के हस्ताक्षर**
नाम:	**नाम:**
दिनांक:	**दिनांक:**
मोबाइल नम्बर:	**मोबाइल नम्बर:**

अनुलग्नक-एफ

छात्रावास निवासियों द्वारा शपथ पत्र

मैं, _____पंजीकरण संख्या _____ के साथ _____ पाठ्यक्रम के लिए _____ के विभाग में आईआईएमसी नई दिल्ली में एक छात्रावासी के रूप में एतद्द्वारा वचन देता हूं, मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से वादा करता/करती हूं कि:

1. मैं छात्रावास के नियमों और विनियमों और उनके किसी भी संशोधन का वचन और भावना से पालन करूंगा/करूंगी। ।

2. मैं छात्रावास के अनुशासन और मर्यादा को हमेशा बनाए रखूंगा/रखूंगी।

3. मैं छात्रावास की संपत्ति का संरक्षण, रख-रखाव और सुरक्षा करूंगा/करूंगी और जानबूझकर या अन्यथा, छात्रावास की संपत्ति को नष्ट, क्षति या विरूपित नहीं करूंगा/करूंगी।

4. मैं अपने कमरे और छात्रावास के सामान्य मैदान को हमेशा साफ और मैला नहीं रखूंगा/रखूंगी और आवश्यकता पड़ने पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराऊंगा/ करूंगा/कराउऊंगी। ।

5. मैं समझता/समझती हूं कि रैगिंग सख्त वर्जित है और एक अपराध है, और यह कि किसी भी संलिप्तता के कारण मुझे संस्थान से बर्खास्त कर दिया जाएगा।

6. मैं समझता/समझती हूं कि छात्रावास/संस्थान में किसी भी नशीले पदार्थ जैसे तंबाकू, शराब, मादक या आदत बनाने वाली दवाओं आदि का उपयोग सख्त वर्जित है। मैं इस तरह की गतिविधि,जैसे कि धूम्रपान, मादक पेय या छात्रावास और संस्थान परिसर में किसी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन और यदि संस्थान में किसी भी समय / स्थान पर इसके प्रभाव में पाया जाना, में शामिल होने के लिए किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।

7. मैं अपना कीमती सामान अपने पास रखूंगा/रखूंगी। प्रबंधन किसी भी नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं है।

8. मैं सहमत हूं किविशिष्ट अनुमति प्राप्त किए बिनाशाम.... बजे से सुबह..... बजे तकमेरे द्वारासंस्थान में कोई प्रवेश या निकास नहीं किया जाएगा।

9. मैं समझता/समझती हूं कि वास्तविक उद्देश्य के लिए परिसर के बाहर जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए; संस्थान से बाहर रहने के दौरान मैं अपनी सुरक्षा और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी। यदि मैं पूर्व अनुमति के बिना संस्थान/छात्रावास छोड़ देता/देती हूं, तो संस्थान मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है और संस्थान के अधिकारी मेरी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

10. यदि मैं अपने गृहनगर या अन्य स्थानों पर जाने के लिए छुट्टी (अनुमति के साथ) लेता/लेती हूं, तो मैं अपने प्रस्थान और संस्थान लौटने के दौरान अपनी सुरक्षा और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

11. मेरे माता-पिता/अभिभावकों या रिश्तेदारों के आने की स्थिति में, मैं वार्डन को अग्रिम रूप से सूचित करूंगा/करूंगी और उनके साथ संपर्क, छात्रावास में बैठक या स्थानीय यात्रा के लिए बाहर जाना वार्डन की सहमति (लिखित अनुमति) से होगा।

12. मैं समझता/समझती हूं कि छात्रावास परिसर में किसी भी मित्र या बाहरी व्यक्ति को अनुमति नहीं है। इसके अलावा, पुरुष महिला छात्रावास में नहीं जा सकते हैं या इसके विपरीत यदि अन्यथा निर्धारित नहीं है, और इस तरह की किसी भी यात्रा को एक गंभीर कदाचार के रूप में देखा जाएगा, जिसके लिए दंड दिया जाएगा।

13. मैं एक छात्र के रूप में एक सक्रिय भूमिका निभाऊंगा/निभाऊंगी और सुधार के लिए सुझाव/प्रतिक्रिया या छात्रावास जीवन के पहलुओं के बारे में कोई भी चिंता छात्रावास प्रभारी (वार्डन ??) के ध्यान में तुरंत लाया जाएगा।

14. मैं लैंगिक सौहार्द बनाए रखने और परिसर में सभी, समूह, व्यक्ति और अधिकारियों के साथ सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने में एक सक्रिय भूमिका निभाने का प्रयास करूंगा/करूंगी। मैं समझता/समझती हूं कि संस्थान जाति, पंथ और सांप्रदायिक सद्भाव के मुद्दों के संबंध में एक स्थायी दृष्टिकोण रखता है।

15. मैं समझता हूं कि आचार संहिता और उससे ऊपर के किसी भी अस्वीकार्य व्यवहार में शामिल होने और छात्रावास के नियमों के किसी भी उल्लंघन के कारण मुझे छात्रावास/संस्थान से तत्काल निष्कासित कर दिया जाएगा।

16. मैं बिना प्राधिकरण की अनुमति के अपना आवंटित कमरा नहीं बदलूंगा/बदलूंगा। आईआईएमसी होस्टलर के रूप में, मैं हॉस्टल संपत्ति की देखभाल के लिए जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी। मैं वार्डन की अनुमति के बिना कमरे से कोई फर्नीचर नहीं हटाऊंगा और कोई फर्नीचर नहीं जोड़ूंगा/जोड़ूंगी।

17. मैं अपने कमरे में किसी भी प्रकार का भोजन नहीं बनाऊंगा/बनाऊंगी, और रसोई के बर्तन, चाय या दूध को अपने कमरे या भोजन कक्ष के अलावा किसी अन्य स्थान पर नहीं ले जाऊंगा/जाऊंगी।

18. मैं कोई महंगा आभूषण नहीं लाऊंगा/लाऊंगी और न ही अपने कमरे में बड़ी रकम रखूंगा/रखूंगी। किसी भी आभूषण/पैसे के नुकसान के लिए छात्रावास के अधिकारी जिम्मेदार नहीं होंगे।

19. मैं यह सुनिश्चित करूंगा/करूंगी कि मुझ पर लगाए गए जुर्माने या जुर्माने सहित सभी बकाया राशि का समय पर भुगतान किया जाए।

20. मैं छात्रावास की आचार संहिता का कड़ाई से पालन एवं पालन करूंगा/करूंगी।

21. **छात्रावास कर्मचारी** : छात्र छात्रावास के कर्मचारियों और हाउसकीपिंग कर्मचारियों के साथ हमेशा शिष्टाचार से पेश आएंगे। हाउसकीपिंग कर्मचारियों की सेवा का उपयोग निजी या व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं किया जाएगा। छात्रावास के कर्मचारियों को नकद या वस्तु के रूप में कोई टिप नहीं दी जाएगी।

22. **छात्रावास किराया** : छात्रावास का किराया दो किश्तों में देना होगा। भुगतान में देरी होने पर जुर्माना और निष्कासन हो सकता है।

23. जन्मदिन का जश्न: (1) यह वार्डन की पूर्व लिखित अनुमति से होगा। (2) यह शाम 8 बजे से 10 बजे के बीच एक से दो घंटे के लिए एक आम जगह पर आयोजित किया जाएगा। (3) अन्य छात्रावासियों को किसी भी तरह की शारीरिक असुविधा नहीं होनी चाहिए। (4) किसी बाहरी अतिथि को अनुमति नहीं दी जाएगी। (5) नियम का उल्लंघन करने पर दंडित किया जाएगा।

छात्र के हस्ताक्षर: _____

छात्र का नाम: _____

संपर्क नंबर।: _____

पावती

मैं, _____, पिता/माता/अभिभावक _____ के,

उपरोक्त वचनपत्र की शर्तों को पढ़ लिया है और समझता हूं कि उपरोक्त नियम मेरे बच्चे के लाभ और सुधार के लिए हैं। मैं यह भी समझता/समझती हूं कि यदि वह इन शर्तों का पालन करने में विफल रहता/रहती है, तो वह संस्थान के नियमों और कानून के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा/होगी। मैं वचन देता/देती हूँ कि वह उपरोक्त नियमों एवं शर्तों का कड़ाई से पालन करेगा/करेगी।

माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर: _____

माता-पिता/अभिभावक का नाम: _____ (यदि अभिभावक छात्र के साथ संबंध का उल्लेख करता है)

पत्राचार के लिए पता: _____

संपर्क नंबर: _____ई-मेल आईडी:_____

अनुलग्नक-जी

चरित्र प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री/सुश्री/श्रीमती _____ पुत्र/पुत्री श्री _____ को पिछले _____ वर्षों _____ महीनों से जानता हूं। और यह कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वह प्रतिष्ठित चरित्र का है और उसका ऐसा कोई पूर्व इतिहास नहीं है जो उसे किसी भी संस्थान में प्रवेश के लिए अनुपयुक्त बनाता है।

वह श्री/सुश्री/श्रीमती _____ मुझसे संबंधित नहीं है।

स्थान: _____ हस्ताक्षर: _____

दिनांक: _____ पदनाम: _____

मोहर: _____

***(निम्नलिखित में से किसी के द्वारा हस्ताक्षर किया जाना है)**

1. केंद्र या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी।

2. उपविभागीय मजिस्ट्रेट/अधिकारी।

3. मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान का प्राचार्य/प्रधानाध्यापक जहां अभ्यर्थी ने अन्तिम अध्ययन किया हो।

माता-पिता द्वारा क्षतिपूर्ति बांड

100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत नोटरीकृत

मैं, ...पुत्र ..... निवासी ..... पिता श्री/सुश्री ...., एतद्द्वारा पुष्टि करता हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री/संबंधी ने ....(संस्था का नाम) भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली (इसके बाद आईआईएमसी के रूप में संदर्भित) के ..... पाठ्यक्रम में शैक्षणिक वर्ष 20..... में प्रवेश लिया है, जिसकी नामांकन संख्या .....है।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे **पुत्र/पुत्री/संबंधी** के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है और मैं घोषणा करता हूँ कि यदि कोई विपरीत बात पाई जाती है, तो मैं और मेरा **पुत्र/पुत्री/संबंधी**, आईआईएमसी, नई दिल्ली से मेरे **पुत्र/पुत्री/संबंधी** का प्रवेश रद्द करना/निष्कासन सहित उससे उत्पन्न होने वाले परिणामों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।

इसके अलावा, मैं यह समझ गया हूं कि मेरे बेटे/बेटी को कक्षाओं के अलावा संस्थान द्वारा आयोजित सभी गतिविधियों में भाग लेना होगा, जिसमें यात्राएं, औद्योगिक दौरे, शैक्षिक दौरे, क्षेत्र कार्य, सेमिनार, सम्मेलन, कार्यशालाएं, प्रश्नोत्तरी/तकनीकी प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल, प्रशिक्षण कार्यक्रम, शोध पत्र प्रस्तुत करना और ऐसी अन्य पाठ्यचर्या, सह-पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियां शामिल हैं।

मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि मैंने आईआईएमसी नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक, परीक्षा, छात्रावास, अनुशासन, पर्यटन और अन्य सभी गतिविधियों के संबंध में नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों को पढ़ लिया है। मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि आईआईएमसी नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर अधिसूचित इन सभी अधिसूचनाओं और ऐसे अन्य दिशा-निर्देशों और मानदंडों का मेरे वार्ड द्वारा संस्थान में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सही भावना से पालन किया जाना चाहिए।

मैं आगे पुष्टि करता हूं कि मैं आईआईएमसी नई दिल्ली को क्षतिपूर्ति प्रदान करूंगा तथा आईआईएमसी और इसके मूल निकाय, फाउंडेशन और उनके कर्मचारियों/अधिकारियों को हर प्रकार की दुर्घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना/दुर्घटना, हानि या क्षति या मेरे **पुत्र/पुत्री/संबंधी** के चिकित्सा उपचार में किसी भी प्रकार के चिकित्सा मुद्दे/वित्तीय खर्च या अन्य चीजों से हानिरहित रखूंगा, जो उपरोक्त बताई गई किसी भी गतिविधि से उत्पन्न हो सकती हैं।

इसके अलावा, मैं अपने बेटे/बेटी की ओर से किसी भी अवांछनीय कार्रवाई के कारण होने वाली किसी भी हानि और/या क्षति तथा ऐसी कार्रवाइयों से उत्पन्न होने वाले किसी भी स्वीकार्य दावे के लिए आईआईएमसी और इसकी मूल संस्था, फाउंडेशन तथा उनके कर्मचारियों/ अधिकारियों को क्षतिपूर्ति करूंगा।

क्षतिपूर्तिकर्ता के हस्ताक्षर_____

1. गवाह के हस्ताक्षर:_____

नाम:_____

पता:_____

तारीख:_____

2. गवाह के हस्ताक्षर:_____

नाम:_____

पता:_____

तारीख_____